BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
ORIGINAL APPLICATION No. 67/2026

IN THE MATTER OF:

SHIVAM KUMAR KORI & ANR. ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS. ....RESPONDENT

INDEX

SR.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE
1.	Action Taken Report in the Original Application No. 67/2026 (CZ).		2-8
2.	Letter to the Office of the Divisional Railway Manager, the Collector, the Commissioner dt 22.05.2026.	**R/4-1**	9-12
3.	Letter from Office of the Divisional Railway Manager dt 16.06.2026.	**R/4-2**	13-19
4.	Letter from Office of the Divisional Railway Manager dt 17.06.2026.	**R/4-3**	20-24
5.	Letter from MPPCB to Office of the Divisional Railway Manager dt 01.06.2026.	**R/4-4**	25-27
6.	Inspection Photographs dt 05.06.2026.	**R/4-5**	28
7.	Letter from MPPCB to Office of the Divisional Railway Manager dt 15.06.2026.	**R/4-6**	29-30
8.	Letter from Office of the Divisional Railway Manager dt 24.06.2026.	**R/4-7**	31-39
9.	Inspection Photographs dt 19.06.2026.	**R/4-8**	40-41
10.	Letter from MPPCB to Office of the Divisional Railway Manager dt 23.06.2026.	**R/4-9**	42-43
11.	Letter from Office of the Divisional Railway Manager dt 30.06.2026.	**R/4-10**	44-62

Date: 13.07.2026 **Submitted by MPPCB: -**
Place: Bhopal **through Counsel**

Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
ORIGINAL APPLICATION No. 67/2026

IN THE MATTER OF:

SHIVAM KUMAR KORI & ANR. ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS. ....RESPONDENT

Action Taken Report in compliance of the order dated 18.05.2026 of Hon'ble Tribunal in Original Application No. 67/2026 of Shivam Kumar Kori & Anr. Vs State of Madhya Pradesh & Ors.

The Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) most respectfully submits as under: -

1. That, the Hon'ble NGT vide order dated 18.05.2026 passed in OA 67/2026 (CZ) Shivam Kumar Kori & Anr. Vs State of Madhya Pradesh & Ors., issued following directions: -

"12. Learned counsel for the State PCB has submitted that for non-compliance of the rules, notices were issued to the concerned authorities but no reply has been filed and no response has been given to the State PCB. The matter is serious and the Head of the Department is directed to see the matter personally and in case of non-compliances the Department will have to personally file the affidavit with regard to the compliance of Solid Waste Management Rules, 2026 and law laid down by the Hon'ble Supreme Court of India issued in May, 2026.

13. In view of the above facts, we direct as follows:

(iii) State PCB is directed to carefully monitor in compliance of the solid waste and liquid waste and in case of any violations proper necessary actions must be taken according to rules and in addition to prosecution

environmental damage must be calculated and realized as per rules and immediate remedial measures may be taken for restitution of the environment.

2. That, in compliance to the order of the Hon'ble Tribunal dated 18.05.2026, the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB), vide letters dated 22.05.2026, addressed communications to the Divisional Railway Manager (DRM), West Central Railway, Bhopal, the Collector, Bhopal, and the Commissioner, Bhopal Municipal Corporation, directing adherence to the directions of the Hon'ble Tribunal and implementation of the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2026. Copy of the letters is enclosed as **Annexure R/4-1**.
3. That, in pursuant with the Hon'ble Tribunal's Order dated 18.05.2026, the Office of the Divisional Railway Manager, Bhopal, vide letter dated 16.06.2026, submitted its reply with reference to the letter dated 06.04.2026 issued by the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB). A copy of the said letter is annexed herewith and marked as **Annexure R/4-2**.
4. That, similarly, Office of the Divisional Railway Manager, Bhopal, vide letter dated 17.06.2026, submitted its reply with reference to the letter dated 17.04.2026 issued by the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB). A copy of the said letter is annexed herewith and marked as **Annexure R/4-3**.
5. That, in reference to the order of the Hon'ble Tribunal and following the publication of a news report in the Hindi daily Navdunia titled "लाखों खर्च, फिर भी भोपाल स्टेशन पर लगे कचरे के ढेर, यात्री परेशान", the MPPCB, vide Letter No. 2172 dated 01.06.2026, issued a communication to the Divisional Railway Manager (DRM), West Central Railway, Bhopal, highlighting the issues reported in the newspaper and directing necessary action for implementation of the Solid Waste Management Rules, 2026, regular monitoring, periodic cleanliness drives, fixing accountability of housekeeping agencies, and adoption of short-term as well as long-term measures to prevent recurrence of waste accumulation. Copy of the letter is enclosed as **Annexure R/4-4**.

6. That, in continuation of the above and for verification of the issues raised, officials of the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) conducted a surprise inspection on 05.06.2026, during which the following observations were recorded:
   6.1. The drains located alongside the railway tracks near Platform Nos. 04 and 05 were found to be choked and overflowing.
   6.2. The Solid Waste Storage Unit established at Platform No. 06 was not found to be properly covered and secured, which is not in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2026.
   6.3. Bags containing solid waste were found on the railway tracks and in the surrounding areas, indicating deficiencies in the scientific collection and management of solid waste.
   6.4. At Platform No. 01, adequate information boards/signages (Wet Waste/Dry Waste Signages) for promoting source segregation of solid waste and public awareness regarding cleanliness were not found.

   Photographs taken during inspection are enclosed as **Annexure R/4-5.**
7. That, in view of the observations during the inspection, the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB), vide Letter No. 2296 dated 15.06.2026, addressed a communication to the Divisional Railway Manager (DRM), West Central Railway, Bhopal, highlighting the observations made during the inspection and directing necessary corrective measures in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2026. A copy of the said letter is annexed herewith as **Annexure R/4-6**. In response thereto, the Office of the Divisional Railway Manager (DRM), West Central Railway, Bhopal, vide letter dated 24.06.2026, submitted its reply detailing the action taken. A copy of the said reply is annexed herewith as **Annexure R/4-7**.
8. That, in order to review the actions taken by the Railway Authorities pursuant to the communications issued by the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB), officials of the MPPCB conducted an inspection of Bhopal Railway Station on 19.06.2026. The inspection was attended by Shri Pankaj Tyagi, Divisional Railway Manager, Bhopal; Shri Abhiram Khare, Additional Divisional Railway Manager, Bhopal; Shri Vivek Shrivastava, Senior Divisional Mechanical Engineer, Bhopal; Shri Lucky Dubey, Divisional Mechanical

Engineer, Bhopal; Shri Saurabh Kataria, Senior Divisional Commercial Manager, Bhopal; Shri Ramendra Pandey, Senior Divisional Engineer (Coordination), Bhopal; Shri Neeraj Shrivastava, Divisional Engineer (Headquarters), Bhopal; and Shri Ashish Dubey, Station Director, Bhopal. During the inspection, the following observations were made:

8.1. A situation of partial blockage (choking) was found due to the accumulation of solid waste near platform numbers 04 and 06, along the railway tracks and in the drainage line.

8.2. The designated site for the storage of solid waste within the station premises was found to be covered on all four sides, but it was not found to be sheltered from the top. Additionally, source segregation of waste was not found to be satisfactory. During the inspection, it was also informed that the construction work for a new site for solid waste storage is proposed.

8.3. During the inspection, 02 dustbins were found available on the platforms. As per the Solid Waste Management Rules, 2016, a system of four separate dustbins is now to be arranged for the segregation and collection of waste.

Photographs taken during inspection is enclosed as **Annexure R/4-8.**

9. That, following the inspection, the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB), vide letter dated 23.06.2026, sought information from the Divisional Railway Manager (DRM), Bhopal, regarding the actions taken on the observations made during the inspection. A copy of the said letter is annexed herewith as **Annexure R/4-9**. In response thereto, the Divisional Railway Manager (DRM), Bhopal, vide letter dated 30.06.2026, submitted the requisite information. A copy of the said reply is annexed herewith as **Annexure R/4-10**. The salient points of the reply are as follows:

S.No.	Points / Inquiry	Action Taken / Response
1.	Regarding the overflow and clogging caused by solid waste in the drains near the tracks between Platform No. 04 and 06.	Cleaning of drains in the track area at Bhopal Railway Station is a regular and continuous process, ensuring cleaning three times a day as per the schedule. With an average of about 140 trains operating daily at Bhopal Railway Station, cleaning work in the track area is only possible during

		available safe intervals (Traffic Blocks / Operational Gaps). The situation observed during the inspection was temporary. In addition to regular cleaning, de-silting is continuously carried out to maintain smooth drainage flow. The following measures are being taken to prevent such situations: a) Raising the height of drain edges is in progress to prevent ballast and other foreign materials from entering the drains. b) Covering the drains with mesh/grating is being implemented in a phased manner. c) Cleanliness, waste segregation, and environmental protection posters, banners, and signage are displayed across prominent locations. Public Announcement System messages run regularly to prompt passengers to use designated dustbins and keep wet and dry waste separate. d) Public awareness activities under Mission LiFE (Lifestyle for Environment) and the Clean Railway Station Campaign are regularly organized via street plays, cleanliness drives, and public relations events.
2.	Brief description of the cleanliness and solid waste management system in the station premises.	a) Regular cleaning and waste collection from platforms, tracks, drains, waiting halls, toilets, and public areas are executed daily. Track area drains are cleaned three times a day. b) Currently, 45–50 workers are deployed daily under the cleaning contract across various shifts based on operational requirements.

		c) Color-coded dustbins are provided across the station to encourage segregation at source. There are currently approximately 150 sets of twin (wet and dry) dustbins placed across various locations. d) Segregated solid waste is transported to the designated storage area. Work to completely cover the top of the interim storage site is in progress and will be completed soon. A separate site has already been selected to develop a permanent solid waste storage facility. e) Transport and disposal of collected waste are carried out through authorized agencies in compliance with the Solid Waste Management Rules, 2026. f) A geo-tag-based photo tracking system is utilized to monitor cleaning efficiency (before-and-after photos). Cleanliness is also monitored via CCTV from the divisional office.
3.	Proposed action plan, timelines, and action taken regarding the new solid waste storage site.	a) A suitable site has been selected to establish a new permanent solid waste storage facility conforming to SWM Rules, 2026. b) Under current interim arrangements, separate partitions are provided for wet and dry waste, and roofing work for the site is underway. c) An action plan for developing the permanent facility with segregated storage spaces and scientific waste management infrastructure has been drafted to be completed in a phased, prioritized manner.

4.	Details of challans/punitive actions taken against littering in the railway premises:	a) Enforcement actions are systematically executed against littering and sanitation violations. b) From 01.01.2025 to 31.12.2025: A total of 897 cases were penalized, collecting ₹1,90,630/- in fines. c) From 01.01.2026 to 31.05.2026: A total of 142 cases were penalized, collecting ₹34,650/- in fines.
5.	Regarding the implementation of four-stream color-coded dustbins and Bulk Waste Generator (BWG) registration:	Bhopal Railway Station has identified its toilet areas as primary locations for implementing mandatory four-stream color-coded dustbins as per Solid Waste Management Rules, 2026. Segregated waste is handed over to the Municipal Corporation, which issues receipts for collection. The station has successfully registered as a Bulk Waste Generator (BWG) on the CPCB portal on 13.06.2026 with Acknowledgement No: SWM/BWG C/MP/2026/0000020. Verification by the Bhopal Municipal Corporation is currently underway.

10. That this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take the action taken report on record.

13/07/26

Neetesh Chaurasiya
Regional Officer
RO, MPPCB, Bhopal

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2051 /क्षेका/प्रनिबो/2026 भोपाल, दिनांक 22 /05 /2026

प्रति,

मंडल रेल प्रबंधक,
भोपाल डिवीजन, पश्चिम मध्य रेल्वे,
डी.आर.एम. रोड़, बंगाली कालोनी, एन–02,
हबीबगंज, भोपाल, (म.प्र.)–462024।

विषयः– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 67/2026 (सीजेड) शिवम कुमार कोरी व अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.05.2026 के अनुपालन बावत्।**

संदर्भः– **इस कार्यालय का पत्र कमांक 1696 भोपाल दिनांक 06.04.2026 एवं पत्र कमांक 1784 भोपाल दिनांक 17.04.2026।**

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भोपाल जक्शन रेल्वे स्टेशन के भीतर एवं समीपस्थ क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने बावत् लिखा गया था, जिसके संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण कमांक 67/2026 (सीजेड) में पारित आदेश दिनांक 18.05.2026 (संलग्न) में डी.आर.एम. भोपाल को निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

"11. Learned Counsel appearing for the Respondent-Department of Railways has stated that the reply has been filed but it is not on record. Learned Counsel has submitted that the contract for sweeping/disposal of solid waste/liquid waste have been given on contract basis and the person to whom the contract had been given is responsible for the proper sanitation and disposal of solid waste. The amount which is paid is paid from the State Ex-chequer being a public fund for whom the accountability is with the Head of the Department/DRM Department of Railway, Bhopal and he is the person responsible for proper compliance of the Solid Waste Management Rules duly notified in 2026.

12. Learned counsel for the State PCB has submitted that for noncompliance of the rules, notices were issued to the concerned authorities but no reply has been filed and no response has been given to the State PCB. The matter is serious and the Head of the Department is directed to see the matter personally and in case of noncompliances the Department will have to personally file the affidavit with regard to the compliance of Solid Waste Management Rules, 2026 and law laid down by the Hon'ble Supreme Court of India issued in May, 2026.

13. In view of the above facts, we direct as follows:

i. We direct the DRM, Bhopal to strictly observe and comply the Solid Waste Management Rules, 2026."

अतः इस संबंध में लेख है कि रेल्वे परिसर एवं ट्रेक साईट क्षेत्रों में डम्प समस्त ठोस अपिशष्ट एवं प्लास्टिक कचरे को उठाने, रेल्वे क्षेत्र में नियमित कचरा संग्रहण, परिवहन एवं

पृथक्करण व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं रेल्वे परिसर में पर्याप्त संख्या में डस्टबिन की व्यवस्था स्थापित करें एवं उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है, ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित हो सकें, जिससे भविष्य में पर्यावरण संरक्षण एवं जन–स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(नीतेश चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 2082/क्षेका/प्रनिबो/2026 भोपाल, दिनांक 26 /05 /2026

प्रति,

कलेक्टर,
कलेक्टर कार्यालय,
पुराना सचिवालय,
सुल्तानिया रोड, भोपाल (म.प्र.)

विषयः– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 67/2026 (सीजेड) शिवम कुमार कोरी व अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.05.2026 के अनुपालन बावत्।**

---00---

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण कमांक 67/2026 (सीजेड) में पारित आदेश दिनांक 18.05.2026 (संलग्न) के अनुक्रम में कलेक्टर भोपाल को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी कियान्वयन तथा अनुपालन हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

"13. In view of the above facts, we direct as follows:

iv. In view of the guidelines issued by Hon'ble Supreme Court of India in Bhopal Municipal Corporation matter the Collector has been given the responsibility to monitor the compliance of the rules. Accordingly, the Collector, Bhopal is directed to see the matter personally and to enforce the rule of law and to ensure that there should be a compliance of Solid Waste Management Rules and Liquid Management Rules."

अतः उक्त आदेश के परिपालन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं अपशिष्ठ के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाए, जिससे भविष्य में पर्यावरण संरक्षण एवं जन–स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकें। माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का समयबद्ध एवं प्रभावी अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(नीतेश चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

क्षेत्रीय कार्यालय

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 2083/क्षेका/प्रनिबो/2026 भोपाल, दिनांक 26/05/2026

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
कुशाभाऊ ठाकरे,
आई.एस.बी.टी. केम्पस,
भोपाल, (म.प्र.)।

विषयः– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 67/2026 (सीजेड) शिवम कुमार कोरी व अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.05.2026 के अनुपालन बावत्।**

संदर्भः– **इस कार्यालय का पत्र कमांक 1698 भोपाल दिनांक 06.04.2026 एवं पत्र कमांक 1785 भोपाल दिनांक 17.04.2026।**

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भोपाल जक्शन क्षेत्र एवं समीपस्थ नाले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने बावत् लिखा गया था, जिसके संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 67/2026 (सीजेड) में पारित आदेश दिनांक 18.05.2026 (संलग्न) में नगर पालिक निगम, भोपाल को निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

"13. In view of the above facts, we direct as follows:

ii. Bhopal Municipal Corporation is directed to ensure the compliance of Solid Waste Management Rules as updated in 2026 and also comply the directions issued by the Hon'ble Supreme Court of India in Bhopal Municipal Corporation versus Shubhash Chandra Pandey and Ors. quoted above and to ensure that there should not be any throwing of the solid waste on the railway tracks or nearby areas within the jurisdiction of the BMC. Since the collecting agency of the solid waste is Bhopal Municipal Corporation thus, the responsibility is greater on the BMC to ensure the proper compliance and disposal according to rules."

अतः इस संबंध में लेख है कि उक्त क्षेत्र से समस्त कचरे को उठाने, नाले की सफाई एवं अवरोध हटाने की कार्यवाही शीघ्र करने एवं क्षेत्र में नियमित कचरा संग्रहण, परिवहन एवं पृथक्करण व्यवस्था लागू करने, जन–जागरूकता अभियान चलाये जाने एवं कचरा निष्पादन सुनिश्चित किये जाने का कष्ट करें। उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित हो सकें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(नीतेश चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
यॉंत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

पत्र क्र.NGT/Notice No. CZB/2026/149/MPPCB

दिनांक 16/06/2026

R.O.M.P.P.C.B. BHOPAL
Received 1265
Date 19/06/2026

क्षेत्रीय अधिकारी
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल

विषय : भोपाल रेलवे स्टेशन के भीतर एवं समीपस्थ क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने बाबत।

सन्दर्भ : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), केंद्रीय क्षेत्र पीठ, भोपाल द्वारा ओ. ए. 67/2026 (CZ) "शिवम् कुमार कोरी एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य",आपका कार्यालयीन पत्र क्र.1696/क्षेका/प्रनिबो/2026 दिनांक 06/04/2026

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलने वाले समस्त ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण एवं निष्पादन नियमानुसार किया जाता है। रेलवे स्टेशन परिसर से उत्पन्न कचरा नियमित रूप से नगर निगम को सुपुर्द किया जाता है।

रेलवे स्टेशन के नाले की सफाई नियंतर रूप से कराइ जाती है , तथा नाले को ढकने का कार्य भी कराया जा रहा है | पात्रा नाले की मरम्मत एवं सफाई नगर निगम भोपाल के अधिकार क्षेत्र में है।

रेलवे स्टेशन के पास से गुजरने वाले नाले में आसपास स्थित बस्तियों एवं कॉलोनियों के रहवासियों द्वारा कचरा एवं प्लास्टिक अपशिष्ट डंप किया जाता है, जिसके कारण नाले में गंदगी एवं अवरोध की स्थिति निर्मित होती है। रेलवे ट्रैक पर भी समीपवर्ती कॉलोनियो वासियों द्वारा कचरा डंप किया जाता है, स्टेशन डायरेक्टर द्वारा इसी आशय का पत्र नगर निगम को कई बार भेजा गया है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। (प्रति संलग्न)

कचरे का पृथक्करण करने वाली मुख्य कूड़ेदान को भी आप्ल्कालिक समय के लिए चारो तरफ से नेट की बाउंड्री वाल बनाकर ढक दिया गया है| स्थायी रूप से नए मुख्य कूड़ेदान की जगह का चुनाव कर लिया गया है और इस जगह पर नए कूड़ेदान का निर्माण किया जाएगा | छाया चित्र संलग्न है।

भोपाल रेलवे स्टेशन पर 700 KL का SEWAGE ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की गई है जो SEWAGE water का ट्रीटमेंट करता है एवं साफ़ पानी में बदल देता है जिसे स्टेशन पर क्लीनिंग के कार्य में उपयोग किया जाता है।

भोपाल स्टेशन पर नियमित रूप से साफ सफाई का कार्य चल रहा है, प्रदेश की राजधानी होने के कारण यहाँ पर रोज करीब 01 लाख यात्रियों का आवागमन रहता है साथ ही साथ 140 ट्रेने रोज गुजरती है, स्टेशन परिसर में कूड़ेदान पर्याप्त संख्या में है, यद्दपि आपके निर्देशानुसार और अधिक कूड़ेदानो को रखने के लिए नई जगह देखी जा रही है।

साफ़ सफाई की सतत निगरानी हेतु एक विभागीय WhatsApp group बनाया गया है जिसमे सफाई कर्मी, उनके पर्यवेक्षक , रेल्वे के पर्यवेक्षक, अधिकारीगण जुड़े हुए है जिस जगह भी गंदगी दिखती है वहा की फोटोस पर्यवेक्षक एवं रेल्वे के पर्यवेक्षकों द्वारा post की जाती है, जिससे की ड्यूटी पर उपलब्ध सफाई कर्मी तुरंत उस जगह की सफाई कर, पुनः उस जगह की सफाई के बाद की Photo, group में post करता है एवं इसे रेल्वे के पर्यवेक्षकों एवं अधिकारीगण द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, इस प्रकार चौबीसों घंटे WhatsApp group के माध्यम से स्टेशन पर सफाई की निगरानी की जाती है।

यात्री सुविधाओ को सुनिश्चित करना एवं रैल यात्रा को सुगम बनाना ही रेलवे का अधिकार क्षेत्र है जिसके लिए रेल प्रशासन सतत प्रयासरत है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

VIVEK KUMAR SHRIVASTAVA
Digitally signed by VIVEK KUMAR SHRIVASTAVA

वरि.मं. यॉं.इंजी.(ओ एंड एफ)भोपाल
कृते मंडल रेल प्रबंधक, भोपाल

मु

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
यॉंत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

ख्य कचरा घर की छायाचित्र

भोपाल स्टेशन की वास्तविक छायाचित्र

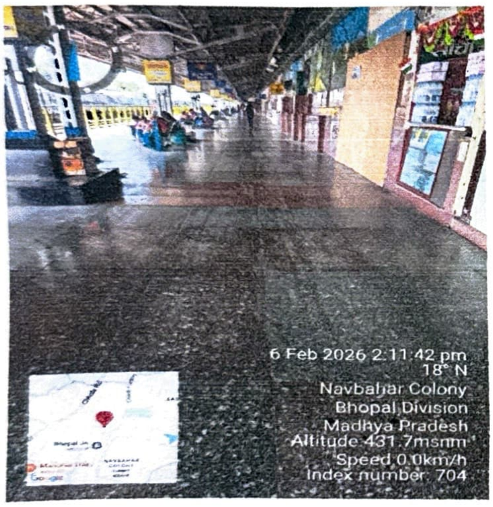

पत्र संख्या-भोपाल स्टेशन/स्वच्छता/2025

कार्यालय

स्टेशन प्रबन्धक (वाणिज्य)
पमरे, भोपाल

प्रति,
श्रीमान आयुक्त
नगर निगम, भोपाल

दिनांक-17/04/2025

विषय:-वर्ड क्रमांक 33 एवं 39 के रहवासी क्षेत्रों की ओर से रेल्वे क्षेत्र में फेंके जा रहे कूड़े-कचरे के संबंध में

-----000-----

उपरोक्त विषय में कथन है की भोपाल स्टेशन के बीना एवं इटारसी छोर (अर्थात उत्तर एवं दक्षिण) की ओर रेल्वे बाउंड्री से लगे हुए रिहायशी मकान, झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं जिनमें रहने वाले निवासीयों द्वारा वार्ड क्रमांक 33, नगर निगम ज़ोन न.-9 द्वारकानगर (भोपाल स्टेशन के बीना छोर की ओर) एवं वार्ड क्रमांक 39, नगर निगम ज़ोन न.-11 शंकराचार्य नगर, उमराव दूल्हा, बरखेड़ी (भोपाल स्टेशन के इटारसी छोर की ओर) से लगातार रेल्वे बाउंड्री में ट्रैक के किनारे की ओर कूड़ा कचरा एवं मलबा फेंका जा रहा है एवं फेंके गए उक्त कूड़े कचरे में आग भी लगाई जा रही है, रेल्वे ट्रैक के किनारों पर लगी आग से रेल संपत्ति के साथ जनहानी होने की भी प्रबल संभावना बनी हुई है।

अतः आपसे अनुरोध है की उक्त क्षेत्रों से रेल्वे ट्रैक की ओर लगातार फेंके जा रहे कूड़े कचरे के संबंध में संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

स्टेशन प्रबन्धक (वाणिज्य)
पमरे, भोपाल

स्टेशन प्रबन्धक (वाणिज्य)
STATION MANAGER (COMM.
प.म. रेलवे, भोपाल
W.C. RLY., BHOPAL

आवक शाखा
21-04-25

प्रतिलिपि:-
मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य), पश्चिम मध्य रेल भोपाल को सादर सूचनार्थ

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य)
21 APR 2025
पत्र प्राप्त
पश्चिम मध्य रेल, भोपाल

(1)

O/C

पत्रसंख्या भो/ward-44/garbage/रेल्वे एरिया/भोपाल/2025

कार्यालय

स्टेशन निदेशक
पमरे, भोपाल
दिनांक-02/12/2025

प्रति,
आयुक्त महोदया
नगर निगम, भोपाल

विषय:- भोपाल रेल्वे स्टेशन एवं रानी कमलापति स्टेशन के बीच वर्ड क्रमांङ्क 44, ज़ोन क्र.-11 बाग उमराव दूल्हा कॉलोनी, एवं भोपाल रेल्वे स्टेशन एवं निशातपुरा के बीच द्वारका नगर तथा भोपाल रेल्वे स्टेशन एवं संत हिरदराम नगर स्टेशन के बीच बनी कॉलोनियों के निवासियों द्वारा रेल्वे लाइन के किनारों पर कूड़ा कचरा फेंकने के संबंध में

-------00-------

विषयान्तर्गत कथन है की भोपाल रेल्वे स्टेशन एवं रानी कमलापति स्टेशन के बीच वार्ड क्रमांङ्क 44, ज़ोन क्र.-11 बाग उमराव दूल्हा कॉलोनी, एवं भोपाल रेल्वे स्टेशन एवं निशातपुरा के बीच द्वारका नगर तथा भोपाल रेल्वे स्टेशन एवं संत हिरदराम नगर स्टेशन के बीच बनी कॉलोनियों के निवासियों द्वारा रेल्वे लाइन के किनारों पर कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है जिसे रेल्वे द्वारा साफ करवा दिया जाता है परंतु दो तीन दिनों मे पुनः कूड़े कचरे के ढेर लगा दिये जाते हैं, जिससे लाइनों के किनारे कूड़ा कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है फलस्वरूप भविष्य में रेल्वे क्षेत्र में आगजनी की दुर्घटना होने की प्रबल संभावना है।

उल्लेखित है की अभी विगत माह भोपाल और रानी कमलापति रेल्वे स्टेशन के बीच बनी आरा मशीन में भी आगजनी की घटना हो चुकी है। रेल्वे लाइनों के किनारे आग लगने से सदैव जन हानी के साथ साथ रेल संपत्ति की हानी की भी प्रबल संभावना बनी रहती है, फेंके जा रहे कचरे में अनाधिकृत तत्वों द्वारा भी आग लगाए जाने की घटना हो सकती है अतः कृपया संबन्धित कॉलोनियों के निवासियों द्वारा किए जा रहे उक्त कृत्य पर रोक अतिआवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है की रेल्वे परिसर में यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कृपया संज्ञान लेकर प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

स्टेशन निदेशक
पमरे, भोपाल

संलग्नक :- (तीन फोटोग्राफ़्स) रेल्वे लाइनों के किनारों पर कॉलोनी निवासियों द्वारा फेंके गए कूड़े कचरे के चित्र

स्टेशन निदेशक
प. म. रेल, भोपाल
STATION DIRECTOR
W.C. RLY. BHOPAL

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य)
03 DEC 2025
पत्र प्राप्त
पश्चिम मध्य रेल, भोपाल

1. अपर मण्डल रेल प्रबन्धक पमरे, भोपाल को सादर सूचनार्थ
2. वरि. मंडल यांत्रिक इंजीनियर Freight & EnHM पमरे, भोपाल को सादर सूचनार्थ
3- वरि. मण्डल परिचालन प्रबन्धक, पमरे, भोपाल को सादर सूचनार्थ
4- वरि. मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक — " — " —
5- मण्डल यांत्रिक इंजीनियर Freight & EnHM

(2)

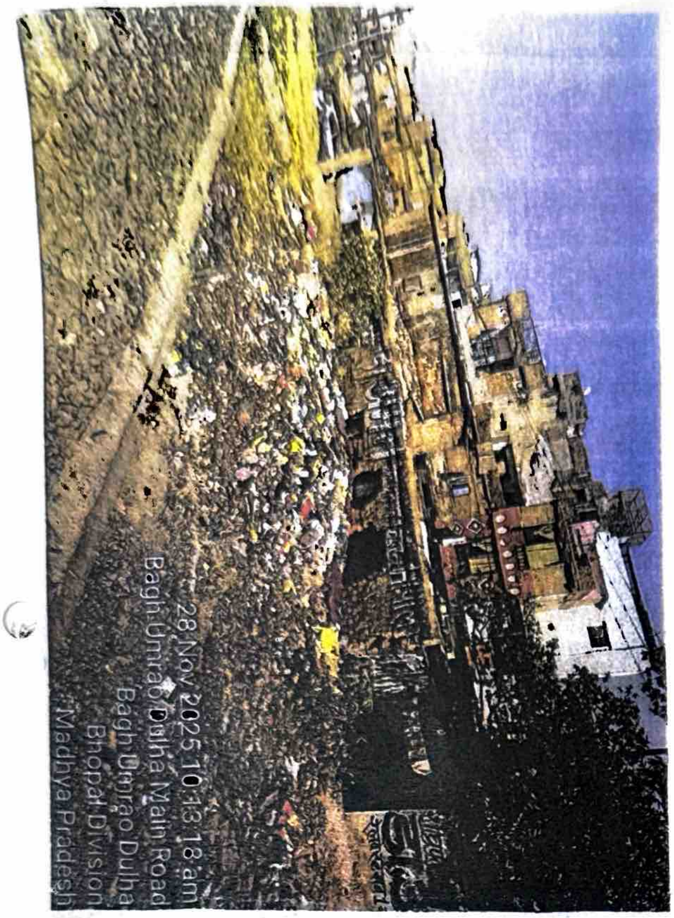
28 Nov 2025 10:13:18 am
Bagh Umrao Dulha Main Road
Bagh Umrao Dulha
Bhopal Division
Madhya Pradesh

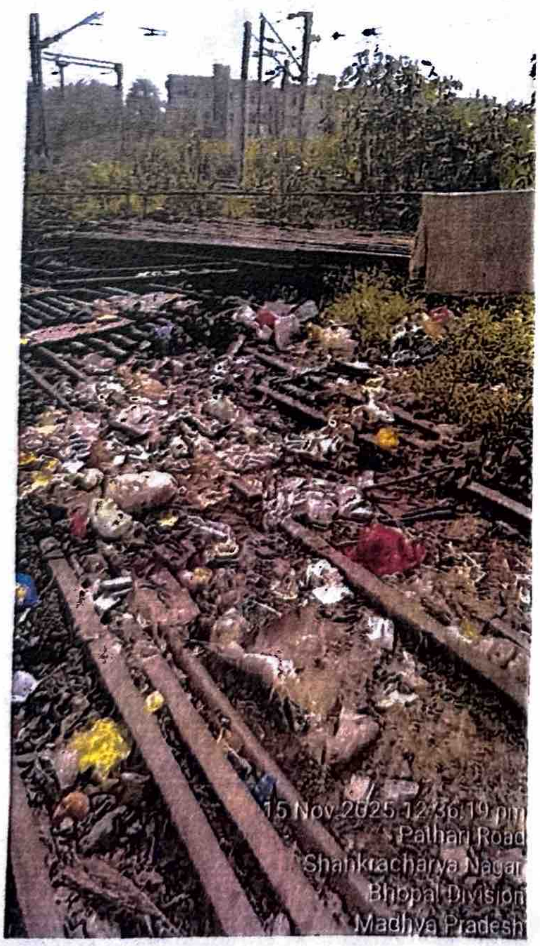
15 Nov 2025 12:36:19 pm
Palhari Road
Shankracharya Nagar
Bhopal Division
Madhya Pradesh

28 Nov 2025 7:44:43 am
main road
Bagh Umrao Dulha
Bhopal Division
Madhya Pradesh

(3)

O/C

पत्रसंख्या-भो/ward-44/garbage/रेल्वे एरिया/भोपाल/2026

कार्यालय

स्टेशन निदेशक
पमरे, भोपाल
दिनांक-09/01/2026

प्रति,
आयुक्त महोदया
नगर निगम, भोपाल

विषय:- भोपाल रेल्वे स्टेशन एवं रानी कमलापति स्टेशन के बीच वार्ड क्रमांक 44, ज़ोन क्र.-11 बाग उमराव दूल्हा कॉलोनी के निवासियों द्वारा रेल्वे लाइन के किनारों पर कूड़ा कचरा फेंकने के संबंध में

-------00-------

विषयान्तर्गत कथन है की भोपाल रेल्वे स्टेशन भोपाल शहर का एक महत्वपूर्ण भाग है साथ ही रेल्वे स्टेशन नगर का दर्पण भी होता है फलस्वरूप भोपाल शहर को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने के साथ-साथ भोपाल स्टेशन को भी स्वच्छ सुंदर बनाए रखना अतिआवश्यक है जिसके लिए रेल्वे प्रशासन लगातार प्रयासरत है, परंतु भोपाल स्टेशन के रानीकमलापति स्टेशन के छोर की ओर रेल्वे पटरी के किनारे वार्ड क्रमांक 44, ज़ोन क्र.-11 बाग उमराव दूल्हा कॉलोनी निवासियों द्वारा रेल्वे लाइन के किनारों पर लगातार कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है जिसकी सूचना विगत माह नवंबर एवं दिसंबर-2025 में भी नगर निगम, भोपाल को फोटो सहित उपलब्ध करवाई गई थी, उक्त कूड़े कचरे के ढेर को रेल्वे द्वारा प्रतिदिन साफ करवाया जा रहा है परंतु वहाँ के निवासियों द्वारा पुनः लगातार कूड़े कचरे के ढेर फेंक दिये जाते हैं, जिससे लाइनों के किनारे कूड़ा कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है फलस्वरूप भविष्य में रेल्वे क्षेत्र में गंदगी के साथ साथ आगजनी की दुर्घटना होने की प्रबल संभावना रहती है।

उल्लेखित है की रेल्वे ट्रैक के किनारे बने मकानों के रहवासियों द्वारा ऐसा न करने हेतु प्रभावी रोक लगाने की कार्यवाही वांछित है, उक्त संबंध में विगत माह नवंबर एवं दिसंबर-2025 में भी नगर निगम, भोपाल को अनुरोध किया गया था परंतु संभवतः प्रभावी कार्यवाही के अभाव में संबन्धित निवासियों द्वारा रेल्वे ट्रैक पर कूड़ा कचरा फेंकने की गतिविधियां लगातार जारी हैं।

अतः अनुरोध है की कृपया उक्त संबंध में प्रभावी संज्ञान लेने का कष्ट करें।

स्टेशन निदेशक
पमरे, भोपाल

स्टेशन निदेशक
प. म. रेल, भोपाल
STATION DIRECTOR
W.C. RLY. BHOPAL

नगर निगम भोपाल
13.01.26
आवक शाखा

4 (

प्रतिलिपि:-

1. अपर मण्डल रेल प्रबन्धक (A&S) पमरे, भोपाल को सादर सूचनार्थ
2. वरि. मंडल यांत्रिक इंजीनियर FRT & EnHM पमरे, भोपाल को सादर सूचनार्थ

13.1.26
ADRM (Adm) office
Received

Received
13.01.26
SrDME office

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-rompcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 1696/क्षेका/प्रनिबो/2026 भोपाल, दिनांक 06/04/2026

प्रति,

मंडल रेल प्रबंधक,
भोपाल डिवीजन, पश्चिम मध्य रेल्वे,
डी.आर.एम. रोड़, बंगाली कालोनी, एन–02,
हबीबगंज,
भोपाल, (म.प्र.)–462024।

म.रे.प्र./भोपाल
DRM/Bhopal
07.04.2026

विषयः– भोपाल जक्शन रेल्वे स्टेशन के भीतर एवं समीपस्थ क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे /ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने बावत्।

संदर्भः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 67/2026 (सीजेड) शिवम् कुमार कोरी व अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2026

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के समक्ष दायर प्रकरण कमांक 67/2026 (सीजेड) भोपाल जक्शन रेल्वे स्टेशन के आसपास, रेल्वे ट्रेक किनारे एवं समीपस्थ क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक वेस्ट की डंपिग से संबंधित है। याचिका अनुसार भोपाल जक्शन रेल्वे स्टेशन के भीतर एवं समीपस्थ क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक वेस्ट की डंपिग एवं नाले के जाम होने की स्थिति से दुर्गन्ध, जल प्रदूषण की संभावना उत्पन्न होने का उल्लेख है साथ ही रेल्वे स्टेशन के समीप स्थित नाले में ठोस अपशिष्ट जमा होने से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन होने का का भी उल्लेख है। पिटीशन एवं आदेश दिनांक 16.03.2026 की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

अतः इस संबंध में लेख है कि रेल्वे परिसर एवं ट्रेक साईट क्षेत्रों में डम्प समस्त ठोस अपिशिष्ट एवं प्लास्टिक कचरे को उठाने, रेल्वे क्षेत्र में नियमित कचरा संग्रहण, परिवहन एवं पृथक्करण व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं रेल्वे परिसर में पर्याप्त संख्या में डस्टबिन की व्यवस्था स्थापित करने का अनुरोध है। उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है, जिससे भविष्य में पर्यावरण संरक्षण एवं जन–स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(एस.एन.द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 1697/क्षेका/प्रनिबो/2026 भोपाल, दिनांक 06/04/2026

प्रतिलिपि :–

कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ।

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
यांत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

पत्र क्र.NGT/Notice no. CZB/2026/149/MPPCB1 दिनांक 17/06/2026

R.O.M.P.P.C.B. Received 1276 Date 19/06/2026 BHOPAL

क्षेत्रीय अधिकारी
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल

विषय : भोपाल रेलवे स्टेशन के भीतर एवं समीपस्थ क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने बाबत।

सन्दर्भ : आपका कार्यालयीन पत्र क्र.1784/क्षेका/प्रनिबो/2026 दिनांक 17/04/2026

दिनांक 15.04.2026 को आपके द्वारा भोपाल रेल्वे स्टेशन का निरक्षण किया गया था, एवं आपके द्वारा कुछ पप्रेक्षणों पर प्रकाश डाला गया था , जिनपर कार्यवाही की गई है जो की निम्नांकित है

प्रेक्षण क्र. 1 स्टेशन के प्लेटफार्म के समीप पटरियों के पास स्थित नालियां जाम एवं ओवरफ्लो होती हुई पाई गई।

कार्यवाही- स्टेशन के प्लेटफार्म के समीप की नालियों की सफाई का कार्य नियमित तौर पर किया जा रहा है, परन्तु प्रत्येक ट्रेन आगमन पर यात्रियों द्वारा खिड़की से बाहर कचरा फेंके जाने से नालियों में कचरा चला जाता है। नालियों की सफाई नियंतर रूप से कराइ जाती है , तथा नालियों को ढकने का कार्य भी कराया जा रहा है।

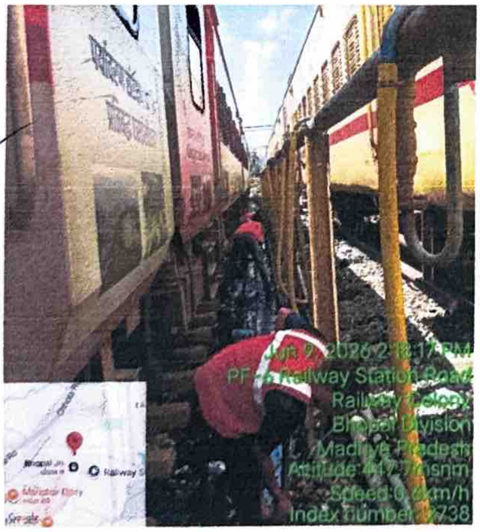

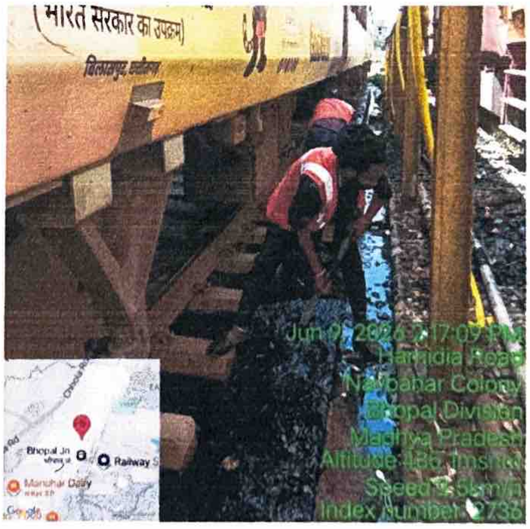

प्रेक्षण क्र.2 प्लेटफार्म क्रमांक 06 स्थित ठोस अपशिष्ट भण्डारण इकाई उचित रूप से ढकी हुई नहीं पाई गई। जिस कारण आवारा पशुओं एवं मवेशी की पहुचने की स्थिति निर्मित हो सकती है।

कार्यवाही- प्लेटफार्म क्रमांक 06 स्थित ठोस अपशिष्ट भण्डारण इकाई को आवारा पशुओं की पहुँच से सुरक्षित करने हेतु कवर किया गया है, स्टेशन के कचरे को इकट्ठा करने और गीला सुखा कचरा प्रथक करने हेतु एक अलग और उचित स्थान का चयन भी कर लिया गया है जहाँ पूरी तरह ढका हुआ मुख्य कूड़ेदान बनाने का कार्य शीघ्र ही आरंभ किया जाना है। इस संबंध में आपको अवगत किया जाता है भोपाल स्टेशन पर गीले एवं सूखे कचरे को प्रथक्करण करने की व्यवस्था पहले से ही जारी है।

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
यॉंत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

प्रेक्षण क्र.3 ठोस अपशिष्ट का स्त्रोत स्तर पर पृथक्करण प्रभावी रूप से नहीं हो रहा है।

कार्यवाही- ठोस अपशिष्ट के स्त्रोत स्तर पर ही प्रथककरण बनाये रखने हेतु 03 अलग अलग कूड़ेदान गिले ,सूखे, सेनेटरी waste के लिए लगाये गये है, एवं कचरे के संग्रहण करने के पश्च्यात भी कचरे का प्रथककरण किया जाता है एवं उसके पश्च्यात ही उसे नगर निगम को सौंपा जाता है। यात्रियों द्वारा गीले सूखे कचरे को अलग अलग dustbin मै नहीं डाले जाने के कारन कचरे को स्त्रोत्र स्तर पर प्रथककरण करना योग्य नहीं है इसलिए गीले सूखे कचरे को मुख्या कचराघर मै प्रथककरण कराया जाता है|

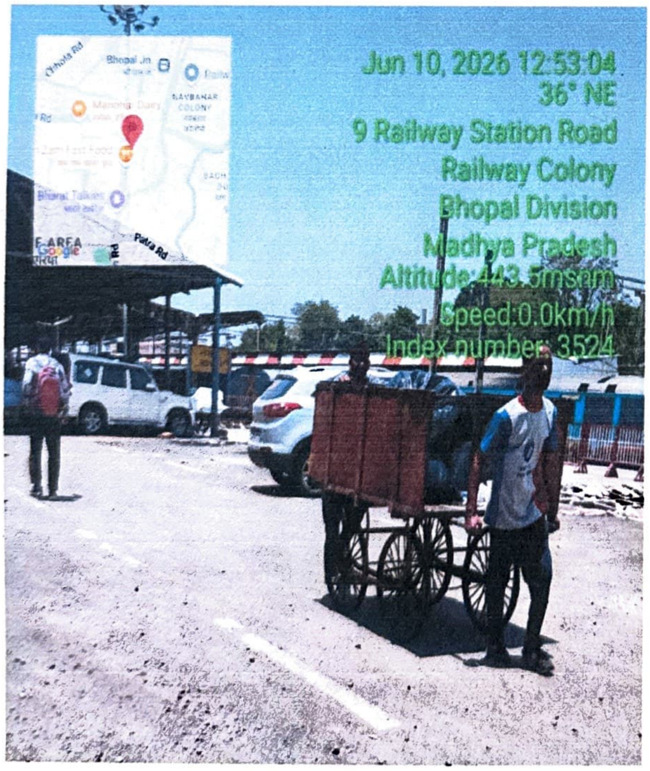

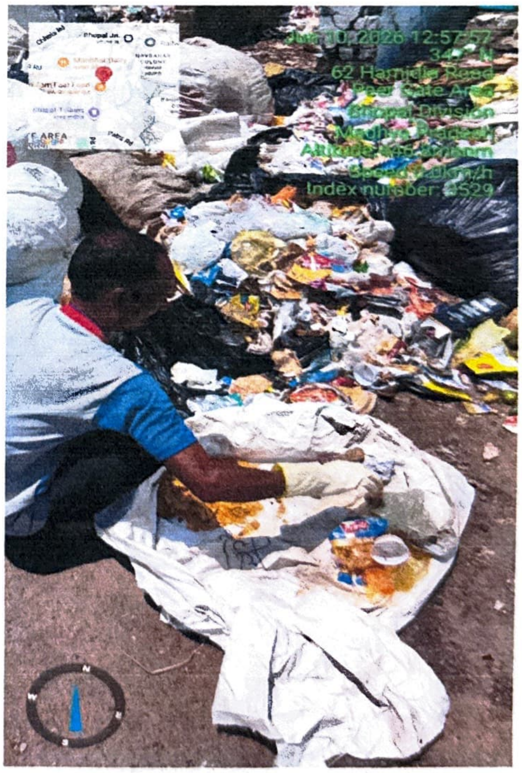

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
याँत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

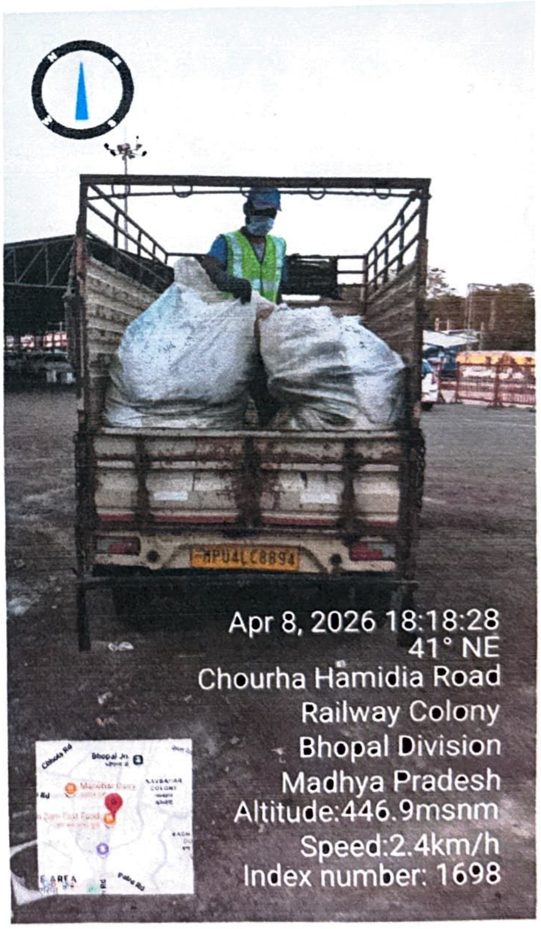

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
याँत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

प्रेक्षण क्र.4 यात्रियों के स्वच्छता के प्रति जागरूकता (ठोस अपशिष्ट साइनेज बोर्ड्स) का आभाव पाया गया।

कार्यवाही- यात्रियों को स्वछता के प्रति जागरूक करने हेतु पोस्टर्स एवं banners लगाये गये है, पोस्टर्स की संख्या को और बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, साथ ही साथ समय समय पर नुक्कड़ नाटक जैसी गतिविधिया भी की जाती है जिससे की यात्रीगण कचरे के सही निपटान के लिए प्रोत्साहित हो और कचरे को उसके प्रकार के अनुसार ही गीले एवं सूखे कचरे के कूड़ेदान में ही डाले।

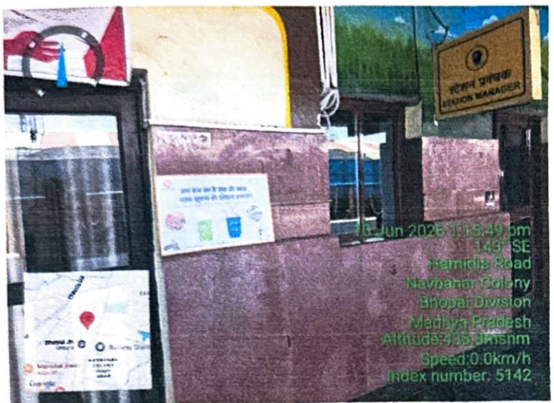

स्टेशन परिसर में उपलब्ध डस्टबिनों के माध्यम से अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। स्रोत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में उपलब्ध संसाधनों एवं प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

VIVEK KUMAR SHRIVASTAVA
Digitally signed by VIVEK KUMAR SHRIVASTAVA

वरि.मं. याँ.इंजी. [illegible] भोपाल
कृत मंडल रेल प्रबंधक [illegible]

ANNEXURE-4

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 1784/क्षेका/प्रनिबो/2026, भोपाल, दिनांक 17/04/2026

प्रति,

मंडल रेल प्रबंधक,
भोपाल डिवीजन, पश्चिम मध्य रेल्वे,
डी.आर.एम. रोड़, बंगाली कालोनी, एन–02,
हबीबुगंज, भोपाल, (म.प्र.)–462024।

विषयः– भोपाल जक्शन रेल्वे स्टेशन के भीतर एवं समीपस्थ क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे /ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने बावत्।

संदर्भः– 1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 67/2026 (सीजेड) शिवम कुमार कोरी व अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2026

2. इस कार्यालय का पत्र क्रंमाक 1696 दिनांक 06.04.2026

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के समक्ष दायर प्रकरण कमांक 67/2026 (सीजेड) के अंतर्गत भोपाल जक्शन रेल्वे स्टेशन के आसपास, रेल्वे ट्रेक किनारे एवं समीपस्थ क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक वेस्ट की डंपिग के संबंध में बोर्ड द्वारा दिनांक 15.04.2026 को भोपाल जक्शन रेल्वे स्टेशन स्थल निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण दौरान निम्न तथ्य पाये गयेः–

1. स्टेशन के प्लेटफार्म के समीप पटरियों के पास स्थित नालिया जाम एवं ओवरफ्लो होती हुई पाई गई।
2. प्लेटफार्म क्रंमाक–06 स्थित ठोस अपिशिष्ठ भंडारण इकाई उचित रूप से ढकी हुई नहीं पाई गई। जिस कारण आवारा पशुओं एवं मवेशी की पहुचने की स्थिति निर्मित हो सकती है।
3. ठोस अपशिष्ट का स्त्रोत स्तर पर पृथककरण प्रभावी रूप से नहीं हो रहा है।
4. यात्रियों के स्वच्छता के प्रति जागरूकता (ठोस अपशिष्ट साइनेज बोर्डस) का अभाव पाया गया।

अतः इस संबंध में लेख है कि रेल्वे परिसर एवं ट्रेक साईट क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक कचरे को उठाने, रेल्वे क्षेत्र में नियमित कचरा संग्रहण, परिवहन एवं पृथक्करण व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं रेल्वे परिसर में पर्याप्त संख्या में कलर कोडेड डस्टबिन की व्यवस्था स्थापित करने का अनुरोध है। पूर्व में भी संदर्भित पत्र क्रंमाक–02 के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में पत्र प्रेषित किया गया था जिसकी जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है, ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का पालन सुनिश्चित हो सके साथ ही भविष्य में पर्यावरण संरक्षण एवं जन–स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

(एस.एन.द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
Telephone: - 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2172 /क्षेका/प्रनिबो/2026 भोपाल, दिनांक 01/06 /2026

प्रति,

मंडल रेल प्रबंधक (DRM),
बंगाली कॉलोनी, एन-2,
हबीबगंज, भोपाल (म.प्र.)- 462024

विषय : भोपाल रेलवे स्टेशन परिसर एवं रेलवे ट्रैक के आसपास ठोस अपशिष्ट/कचरे के ढेर पाए जाने संबंधी समाचार प्रकाशन के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही किए जाने बाबत।

संदर्भ:-
1. **माननीय एन.जी.टी. का आदेश दिनांक 18/05/2026 (ओ.ऐ. क्र. 67/2026)।**
2. **इस कार्यालय का पत्र क्र. 1696 दिनांक 06/04/2026, 1784 दिनांक 17/04/2026।**
3. **नवदुनिया समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार "लाखों खर्च, फिर भी भोपाल स्टेशन पर लगे कचरे के ढेर, यात्री परेशान"।**

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि नवदुनिया में प्रकाशित समाचार पत्र की कटिंग (सलंग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार भोपाल रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफार्मों एवं रेलवे ट्रैक के आसपास कचरे के ढेर, गंदगी एवं अपर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था की स्थिति, स्टेशन की सफाई व्यवस्था पर प्रतिमाह पर्याप्त व्यय किए जाने के बावजूद प्लेटफार्मों एवं ट्रैक क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का संचय पाए जाने, जिससे यात्रियों को असुविधा तथा पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न होने का उल्लेख हैं।

उक्त विषय पूर्व से ही माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय बेंच, भोपाल के समक्ष विचाराधीन है। माननीय NGT द्वारा प्रकरण क्रमांक 67/2026 में दिनांक 18.05.2026 को पारित आदेश में भोपाल रेलवे स्टेशन को बल्क वेस्ट जनरेटर **(Bulk Waste Generator)** की श्रेणी में मानते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है कि **"DRM, Bhopal shall strictly observe and comply the Solid Waste Management Rules, 2026."** । म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्व में भी संदर्भित पत्रों के माध्यम से उक्त विषय पर आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया है। समाचार पत्र में पुनः इसी प्रकार की स्थिति का प्रकाशन होना अत्यंत गंभीर विषय है तथा यह स्वच्छता प्रबंधन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। अतः निम्नलिखित बिन्दुयों पर कारवाही करने का कष्ट करें :-

1. भोपाल रेलवे स्टेशन परिसर, प्लेटफार्मों, रेलवे ट्रैकों एवं आसपास के क्षेत्रों में तत्काल विशेष स्वच्छता अभियान संचालित कर समस्त ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण एवं निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों के अनुरूप स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन एवं निपटान की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
3. स्टेशन परिसर में कार्यरत सफाई एजेंसी/ठेकेदार की जवाबदेही निर्धारित करते हुए नियमित मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण व्यवस्था की जाए।
4. रेलवे ट्रैक, नालियों एवं कम आवागमन वाले क्षेत्रों में कचरा फेंके जाने की रोकथाम हेतु विशेष निगरानी व्यवस्था विकसित की जाए।
5. माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 18.05.2026 एवं पूर्व में जारी पत्रों के अनुपालन में की गई कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवेदन, फोटोग्राफ सहित, इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
6. भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने हेतु अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

कृपया प्रकरण की गंभीरता तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में उक्त प्रकरण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही एवं वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी इस कार्यालय को 07 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(नीतेश चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी

2173
01/6/2026

प्रतिलिपिः-

प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।

(नीतेश चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी

लाखों खर्च, फिर भी भोपाल स्टेशन पर लगे कचरे के ढेर, यात्री परेशान

बदहाली ● प्लेटफार्म से रेलवे ट्रैक तक फैली गंदगी, मानीटरिंग नहीं होने से बिगड़े हाल

06 प्लेटफार्म हैं भोपाल जंक्शन पर	**40-50** सफाई कर्मचारी तैनात रहते हैं स्टेशन पर	**7-8** लाख रुपये हर महीने खर्च होते हैं सफाई पर

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल रेलवे स्टेशन इन दिनों गंदगी की चपेट में है। यहां कहीं वेटिंग हाल के बाहर तो कहीं प्लेटफार्म पर कचरे के थैले नजर आ रहे हैं। यह हाल तब है जब शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत केंद्रीय टीम निरीक्षण के लिए आई हुई है। गर्मी की छुट्टियों और बढ़ती भीड़ के बीच स्टेशन के प्लेटफार्मों की हालत बदतर नजर आ रही है। एक नंबर प्लेटफार्म से लेकर छह नंबर तक जगह-जगह कचरा देखा जा सकता है। राजधानी का प्रमुख रेलवे स्टेशन होने के कारण भोपाल जंक्शन पर हर दिन हजारों यात्रियों की आवाजाही रहती है। ऐसे में स्टेशन पर फैली गंदगी न केवल रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि यात्रियों की सुविधा और स्वास्थ्य पर भी सीधा असर डाल रही है। यात्रियों का कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से स्टेशन की सफाई ही नहीं हुई हो। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस प्लेटफार्म नंबर-1 को हमेशा साफ-सुथरा बताया जाता था, वहां भी अब गंदगी नजर आने लगी है।

कर्मचारी ही प्लेटफार्म व ट्रैक किनारे छोड़ रहे कचराः रेलवे प्रशासन हर महीने सफाई व्यवस्था पर करीब सात से आठ लाख रुपये खर्च करता है और स्टेशन पर 40 से 45 सफाई कर्मचारी तैनात हैं। इसके बावजूद स्टेशन की हालत यह सवाल खड़ा करती है कि आखिर सफाई व्यवस्था फेल क्यों हो रही है। जानकारी के मुताबिक स्टेशन की सफाई का जिम्मा निजी ठेकेदार कंपनी के पास है, लेकिन मानिटरिंग सही तरीके से नहीं होने के कारण सफाई का काम केवल कागजों तक सीमित नजर आ रहा है। कई बार सफाई कर्मचारी डस्टबिन का कचरा पैकेट में भरकर प्लेटफार्मों या रेलवे ट्रैक के किनारे छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी और बदबू की समस्या और बढ़ जाती है।

प्लेटफार्म नंबर-1 की स्थिति निराशाजनकः स्टेशन के अधिकांश प्लेटफार्मों पर लंबे समय से गंदगी की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार प्लेटफार्म नंबर-1 की स्थिति ने भी यात्रियों को निराश किया है। स्टेशन पर डस्टबिन पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं, इसके बावजूद कचरा इधर-उधर फैला दिखाई देता है। वहीं कई स्थानों पर पानी भरने की समस्या भी बनी हुई है, जिससे यात्रियों को बदबू और गंदगी के बीच सफर करने को मजबूर होना पड़ रहा है।

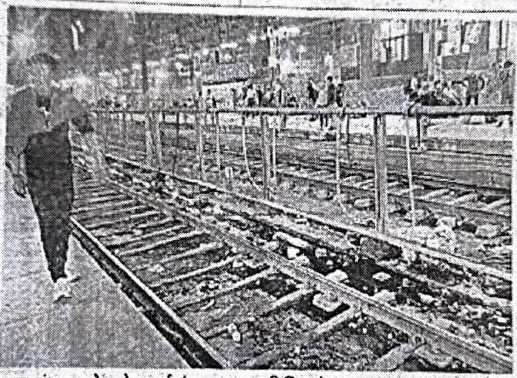

शाम 7:45 बजे: प्लेटफार्म नंबर 5 पर पटरी किनारे पड़ा कचरा। ● नवदुनिया

शाम 7:54 बजे: प्लेटफार्म नंबर छह पर इस तरह कचरा पड़ा दिखा। ● नवदुनिया

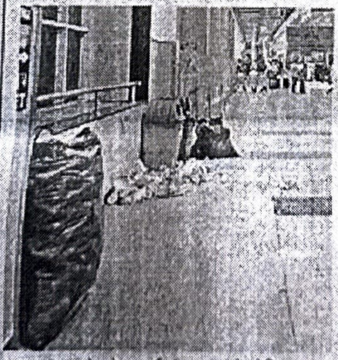

रात 8:11 बजे प्लेटफार्म नंबर एक के वेटिंग हाल के बाहर के पड़ा कचरा। ● नवदुनिया

नवदुनिया व्यू: ठेकेदार जिम्मेदार, पर हम भी निभाएं जिम्मेदारी

स्टेशन परिसर में लगातार बढ़ रही गंदगी के पीछे स्टेशन प्रबंधन की कमजोर निगरानी और सफाई ठेकेदारों की लापरवाही मुख्य कारण माने जा रहे हैं। मानीटरिंग सिस्टम की कमी साफ दिखाई देती है। हालांकि रेलवे प्रशासन के साथ-साथ यात्रियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे कचरा इधर-उधर फेंकने के बजाय डस्टबिन का उपयोग करें, ताकि स्टेशन को स्वच्छ बनाया जा सके। स्वच्छ सर्वेक्षण में भी लोगों की भागीदारी सबसे अहम होती है।

> सफाई कार्य में लापरवाही मिलने पर एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई जाती है। साथ ही प्लेटफार्म नंबर एक सहित सभी पर सफाई, पानी निकासी और कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।
>
> – ग्रेसियस नाजरथ, पीआरओ, भोपाल

Inspection Photographs in OA 67/2026 (CZ) dt 05.06.2026

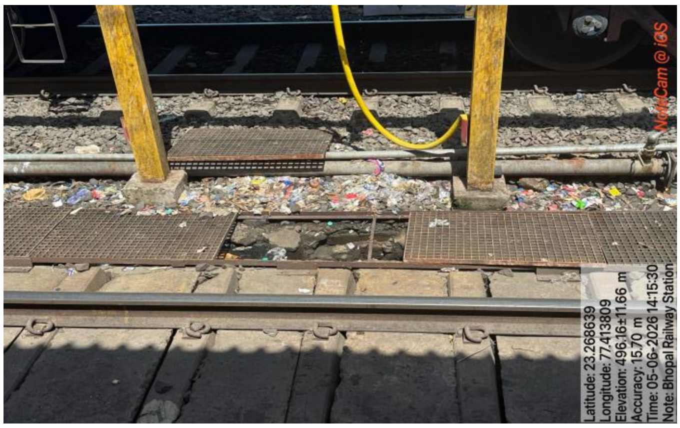

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
Telephone: - 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 2296 /क्षेका/प्रनिबो/2026 **भोपाल, दिनांक 15 / 06 /2026**

प्रति,

मंडल रेल प्रबंधक,
भोपाल मंडल, पश्चिम मध्य रेलवे,
डी.आर.एम. रोड, बंगाली कॉलोनी, एन-02,
हबीबगंज, भोपाल (म.प्र.) - 462024

विषय : भोपाल रेलवे स्टेशन परिसर एवं रेलवे ट्रैक के आसपास ठोस अपशिष्ट/कचरे के ढेर पाए जाने संबंधी समाचार प्रकाशन के परिप्रेक्ष्य में किये गए स्थल निरीक्षण के संबंध में ।

संदर्भ:- 1. नवदुनिया समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार "लाखों खर्च, फिर भी भोपाल स्टेशन पर लगे कचरे के ढेर, यात्री परेशान"।
2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 2172 दिनांक 01/06/2026।
3. इस कार्यालय द्वारा किया गया स्थल निरीक्षण दिनांक 05/06/2026 ।

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दैनिक नवदुनिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्मों एवं रेल पटरियों के आसपास ठोस अपशिष्ट के संचयन, अस्वच्छता तथा अपर्याप्त स्वच्छता प्रबंधन व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। उक्त संबंध में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 05.06.2026 को भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित तथ्य संज्ञान में आए–

1. प्लेटफॉर्म क्रमांक 04 एवं 05 के समीप रेल पटरियों के किनारे स्थित नालियाँ अवरुद्ध (Choked) एवं ओवरफ्लो की स्थिति में पाई गईं।
2. प्लेटफॉर्म क्रमांक 06 पर स्थापित ठोस अपशिष्ट भंडारण इकाई उचित रूप से आच्छादित एवं सुरक्षित अवस्था में नहीं पाई गई, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
3. ठोस अपशिष्ट से युक्त थैलियाँ रेल पटरियों एवं उनके आसपास बिखरी हुई पाई गईं, जो ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक संग्रहण एवं प्रबंधन व्यवस्था में कमी को प्रदर्शित करता है।
4. प्लेटफॉर्म क्रमांक 01 पर ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण एवं स्वच्छता संबंधी जन-जागरूकता हेतु पर्याप्त सूचना-पट्ट (गीला/सूखा कचरा साइनेज) उपलब्ध नहीं पाए गए।

उल्लेखनीय है कि उक्त विषय माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल के समक्ष विचाराधीन है। माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक 67/2026 (CZ) में दिनांक 18.05.2026 को पारित आदेश में भोपाल रेलवे स्टेशन को बल्क वेस्ट जनरेटर (Bulk Waste Generator) की श्रेणी में मानते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्व में भी संदर्भित पत्रों के माध्यम से उक्त विषय पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु अवगत कराया गया था, जिसका आज दिनांक तक अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के नियम-16 के अनुसार प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित स्थानीय निकाय के साथ स्वयं का पंजीयन (Registration) कराया जाना अनिवार्य है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भोपाल रेलवे स्टेशन का बल्क वेस्ट जनरेटर के रूप में निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। साथ ही रेलवे परिसर एवं रेल पटरियों पर विद्यमान ठोस अपशिष्ट का नियमित संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन एवं वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को 07 (सात) दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(नीतेश चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी

2297 / 15/6/2026

प्रतिलिपिः-

कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/c

(नीतेश चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
यॉंत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

पत्र क्र.NGT/Notice no. CZB/2026/149/MPPCB3 **दिनांक 24/06/2026**

R.O.M.P.P.C.B.
1378
Received
Date 29/06/2026
BHOPAL

क्षेत्रीय अधिकारी
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल

विषय : भोपाल रेलवे स्टेशन परिसर एवं रेलवे ट्रैक के आसपास ठोस अपशिष्ट/ कचरे के ढेर पाए जाने संबंधी समाचार प्रकाशन के परिप्रेक्ष्य में किए गए स्थल निरीक्षण के सम्बंध में ।

सन्दर्भ : आपका कार्यालयीन पत्र क्र. 2296/क्षेका / प्रनिबो/ 2026 दिनांक 15/06/2026

दिनांक 05.06.2026 को आपके द्वारा भोपाल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया था, एवं आपके द्वारा कुछ प्रेक्षणों पर प्रकाश डाला गया है , जो कि निम्नांकित है

प्रेक्षण क्र. 1 स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 04 एवं 05 के समीप पटरियों के पास स्थित नालियाँ जाम एवं अवरुद्ध एवं ओवरफ्लो की स्थिति में पाई गई।

कार्यवाही- नालियों की सफाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है| सफाई ठेके के अन्तर्गत नालियों की निर्धारित आवृत्ति में सफाई करायी जाती है | भोपाल स्टेशन पर औसतन प्रतिदिन 140 ट्रेनों के आवागमन होता है एवं से प्रत्येक ट्रेन आगमन पर जब भी यात्रियों द्वारा कचरा फेंका जाता है वह नालियों में जाता है जिसे कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाली समय (वह समय जा कोई ट्रेन का आगमन उस ट्रेन पर संभावित न हो) में प्रतिदिन नालियों की सफाई सुनिश्चित की जाती है

रेलवे के द्वारा नालियों की सफाई हेतु आवश्यक निम्न प्रयास किये जा रहे है |

अ. ट्रैक्स के बीच की नालियों की मुंडेर को ऊँचा किया जा रहा है, जिससे नालियों में ट्रैक की गिट्टियों को जाने से रोका जा सके
आ. नालियों को जाली से ढकने का कार्य भी किया जा रहा है जिससे बाहरी कोई कचरा नाली में न जाए |

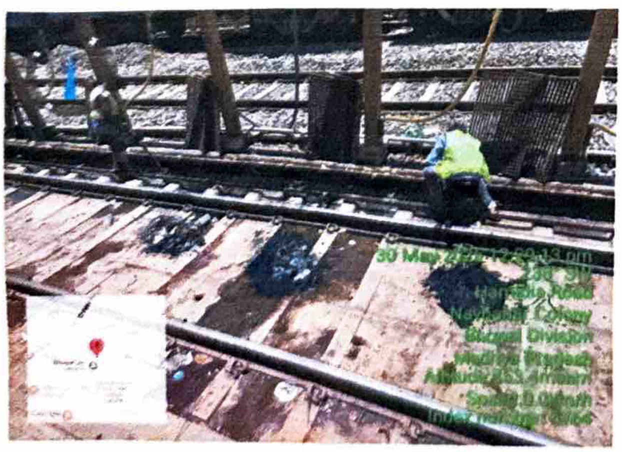

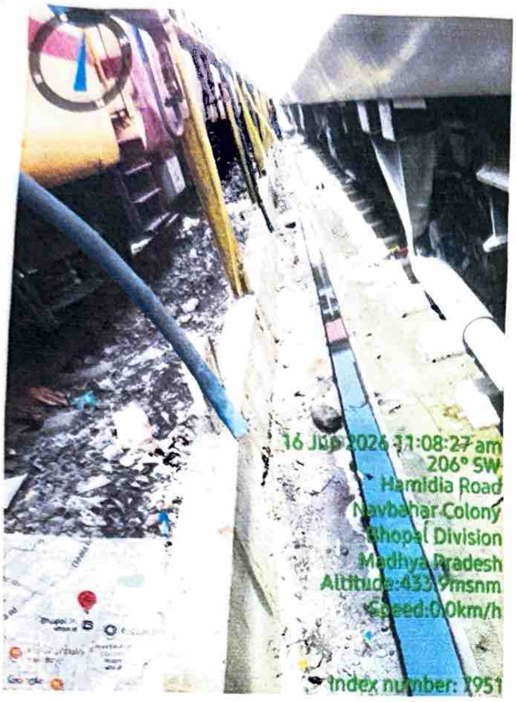

11:08:27 am
206° SW
Hamidia Road
Colony
Division
Pradesh
Altitude:433.9msnm
Speed:0.0km/h
Index number: 1951

Jun 9, 2026 3:09:02 PM
Hamidia Road
Navbahar Colony
Bhopal Division
Madhya Pradesh
Altitude:451.3msnm
Speed:0.5km/h
Index number: 2751

Bhopal Division
Madhya Pradesh

...श्चिम मध्य रेल
... Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
यॉंत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

प्रेक्षण क्र.2. प्लेटफॉर्म क्रमांक 06 पर स्थापित ठोस अपशिष्ट भंडारण इकाई उचित रूप से आच्छादित एवं सुरक्षित अवस्था में नहीं पाई गई, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

कार्यवाही ठोस अपशिष्ट भंडारण व्यवस्था नियम 2026 के पालन हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है। ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण हेतु स्टेशन परिसर में एक उपयुक्त वैकल्पिक स्थान का चयन किया गया जिसे उचित अवधि में पूर्ण किया जाएगा है, जहां नियमानुसार पृथक एवं व्यवस्थित ठोस अपशिष्ट भंडारण इकाई विकसित की जाएगी। प्रस्तावित स्थल को चारों ओर से बाउंड्री वॉल द्वारा सुरक्षित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे अनधिकृत प्रवेश, अपशिष्ट का फैलाव एवं अन्य पर्यावरणीय प्रभावों को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके।

स्थायी व्यवस्था विकसित होने तक वर्तमान भंडारण क्षेत्र को अस्थायी रूप से टीन शेड द्वारा पूर्णतः आच्छादित कर दिया गया है, जिससे वर्षा, तेज हवा अथवा अन्य प्राकृतिक कारणों से ठोस अपशिष्ट के उड़ने अथवा आसपास के क्षेत्र में फैलने की संभावना न्यूनतम हो सके। साथ ही भंडारण क्षेत्र की नियमित साफ-सफाई एवं निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों के अनुरूप स्रोत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण को बढ़ावा देने हेतु गीले एवं सूखे कचरे के संग्रहण के लिए पृथक व्यवस्था निरंतर सुनिश्चित की जा रही है । मुख्य संग्रहण डस्टबिनों एवं भंडारण कंटेनर पृथक भागों में विभाजित है, जिससे गीले एवं सूखे अपशिष्ट का मिश्रण न हो तथा उनके पृथक संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी रूप से संपादित की जा रही है ।

भोपाल मंडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी अनुपालन तथा स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल रेलवे परिसर के विकास हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

्चिम मध्य रेल
Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
यॉंत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

प्रेक्षण क्र. 3. ठोस अपशिष्ट से युक्त थैलियाँ रेल पटरियों एवं उनके आसपास बिखरी हुई पाई गईं, जो ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक संग्रहण एवं प्रबंधन व्यवस्था में कमी को प्रदर्शित करता है।

कार्यवाही- भोपाल रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार 24×7 आधार पर निरंतर संपादित किया जाता है। स्टेशन परिसर एवं ट्रैक क्षेत्र में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का नियमित संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन एवं नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है।

निरीक्षण के दौरान ट्रैक क्षेत्र के समीप जो ठोस अपशिष्ट युक्त थैलियाँ पाई गई थीं, वे ट्रैक सफाई कार्य के दौरान एकत्रित किए गए अपशिष्ट के अस्थायी संग्रहण का भाग थीं। स्टेशन के विस्तृत ट्रैक क्षेत्र (लगभग 1.5 कि.मी.) की सफाई चरणबद्ध तरीके से की जाती है। सफाई कर्मियों द्वारा ट्रैक के एक छोर से सफाई प्रारंभ करते हुए मार्ग में प्राप्त अपशिष्ट को एकत्र कर निर्धारित थैलियों में संकलित किया जाता है तथा ट्रैक पर उपलब्ध सुरक्षित कार्य-अवधि (Traffic Block/Operational Gap) के अनुसार आगे की सफाई जारी रखी जाती है। सफाई कार्य पूर्ण होने के उपरांत उक्त संकलित अपशिष्ट को निर्धारित संग्रहण स्थल तक पहुंचाकर उसका नियमानुसार निस्तारण किया जाता है।

भोपाल स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों का कचरा भी ओन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ (OBHS) द्वारा स्टेशन पर पॉलिथीन बैग्स मै भरकर स्टेशन पर निर्धारित स्थान पर रख दिया जाता है, जिससे की स्टेशन पर हाउसकीपिंग स्टाफ उसको वहा से ले जा सके जिससे की ट्रेन के अंदर भी सफाई की स्थिति को बनाया रखा जा सके| इन बैग्स का संग्रहण ऑपरेशनल ब्लाक मिलने पर ही कराया जाता है

रेल संचालन की व्यस्तता एवं प्लेटफार्मों पर ट्रेनों के निरंतर आवागमन के कारण ट्रैक क्षेत्र में सफाई कार्य केवल उपलब्ध सुरक्षित समयांतराल के दौरान ही किया जाना संभव होता है। अतः सफाई प्रक्रिया के दौरान एकत्रित अपशिष्ट का अल्पकालिक संकलन कार्यगत आवश्यकता का हिस्सा होता है तथा इसे किसी भी प्रकार से अनियमित अथवा परित्यक्त अपशिष्ट नहीं माना जा सकता।

तथापि निरीक्षण के दौरान प्राप्त सुझावों का संज्ञान लेते हुए सफाई एजेंसी को निर्देशित किया गया है कि ट्रैक क्षेत्र से एकत्रित अपशिष्ट को यथाशीघ्र निर्धारित संग्रहण स्थल तक पहुंचाया जाए तथा किसी भी स्थान पर अनावश्यक अवधि तक संचित न रहने दिया जाए। साथ ही पर्यवेक्षण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया गया है ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी एवं दृश्य रूप से संतोषजनक बनी रहे।

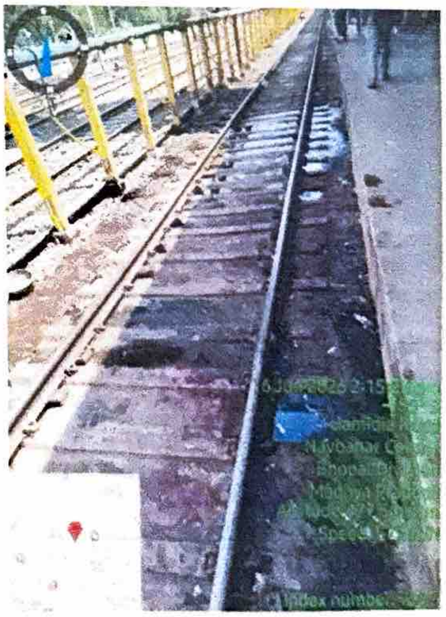

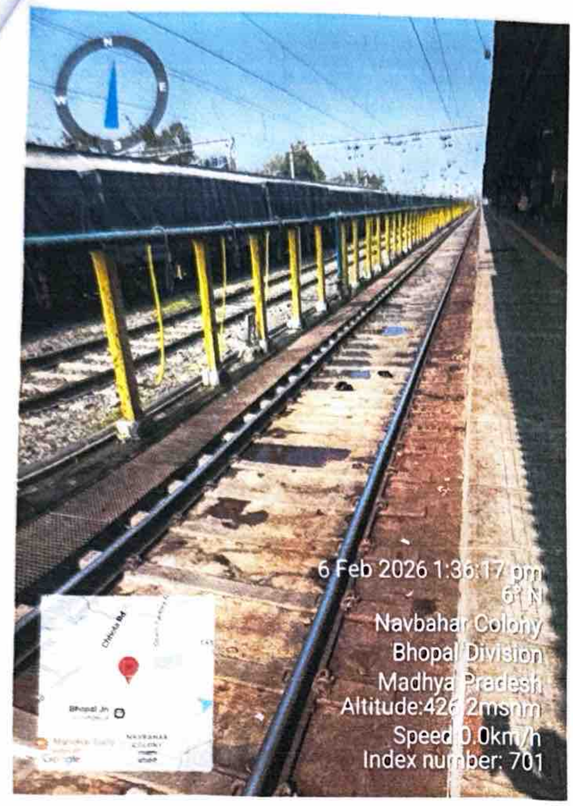

6 Feb 2026 1:36:17 pm
6° N
Navbahar Colony
Bhopal Division
Madhya Pradesh
Altitude:426.2msnm
Speed:0.0km/h
Index number: 701

Madhya Pradesh

चिम मध्य रेल
Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
यॉंत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

प्रेक्षण क्र. 4. प्लेटफॉर्म क्रमांक 01 पर ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण एवं स्वच्छता संबंधी जन-जागरूकता हेतु पर्याप्त सूचना-पट्ट (गीला/सूखा कचरा साइनेज) उपलब्ध नहीं पाए गए।

कार्यवाही- भोपाल रेलवे स्टेशन पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु स्रोत स्तर पर गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्करण की व्यवस्था लागू है। स्टेशन परिसर में स्थापित सभी डस्टबिनों पर गीले एवं सूखे कचरे के पृथक संग्रहण हेतु स्पष्ट स्टिकर एवं पहचान चिन्ह लगाए जा चुके हैं, जिससे यात्रियों एवं उपयोगकर्ताओं को कचरे के उचित निस्तारण एवं पृथक्करण हेतु मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

इसके अतिरिक्त स्टेशन परिसर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर स्वच्छता, अपशिष्ट पृथक्करण एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी पोस्टर, बैनर एवं जागरूकता साइनेज प्रदर्शित किए गए हैं। यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु नियमित रूप से Public Announcement System के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जाते हैं, जिनमें निर्धारित डस्टबिनों का उपयोग, ट्रैक एवं प्लेटफॉर्म पर कचरा न फेंकने तथा गीले एवं सूखे कचरे को पृथक रखने हेतु प्रेरित किया जाता है।

Mission LiFE (Lifestyle for Environment) तथा स्वच्छ रेलवे स्टेशन अभियान के अंतर्गत समय-समय पर जन-जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में स्टेशन परिसर में नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता जागरूकता अभियान, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम एवं विशेष जनसंपर्क गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं, जिनके माध्यम से यात्रियों एवं आमजन को स्वच्छता, अपशिष्ट न्यूनीकरण एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक किया जाता है।

इसके अतिरिक्त उपयुक्त स्थानों का चिन्हांकन कर नए साइनेज बोर्ड एवं जागरूकता सामग्री स्थापित किए जाने की कार्यवाही भी की जा रही है, जिससे स्वच्छता एवं अपशिष्ट पृथक्करण संबंधी संदेशों का व्यापक प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।

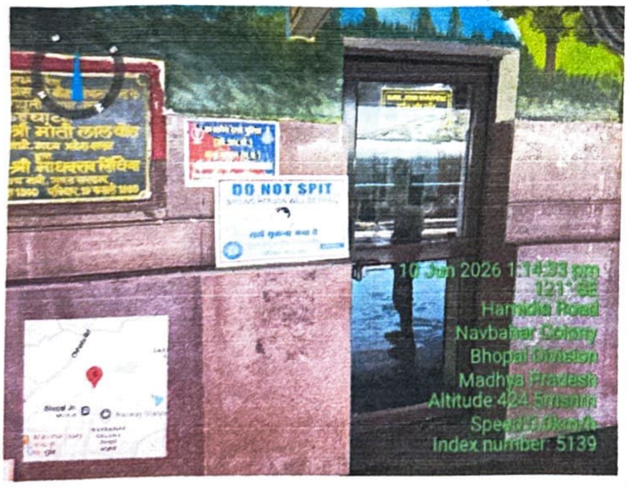

...धम मध्य रेल
... Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
याँत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

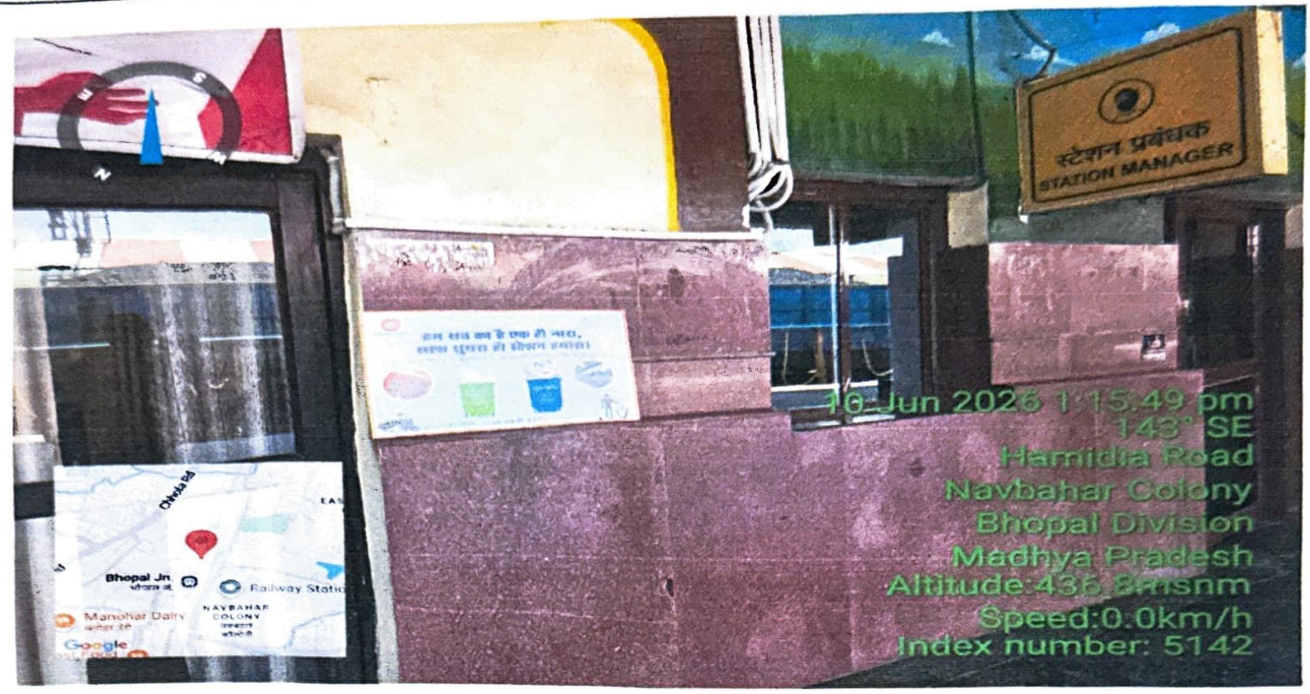

…चम मध्य रेल
…Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
यॉंत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

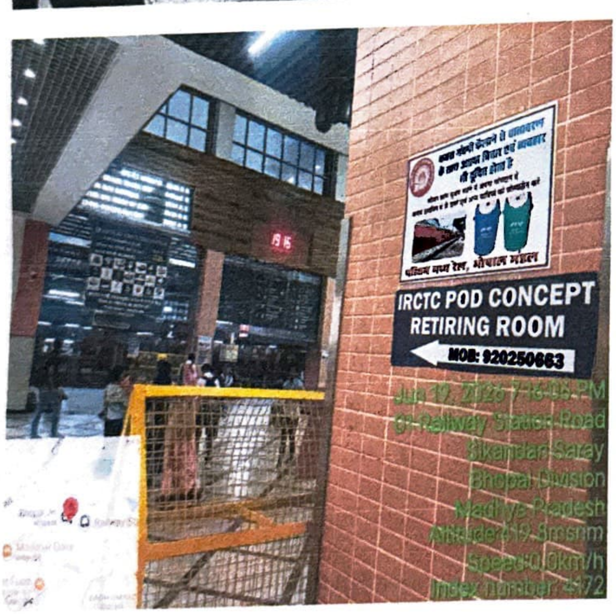

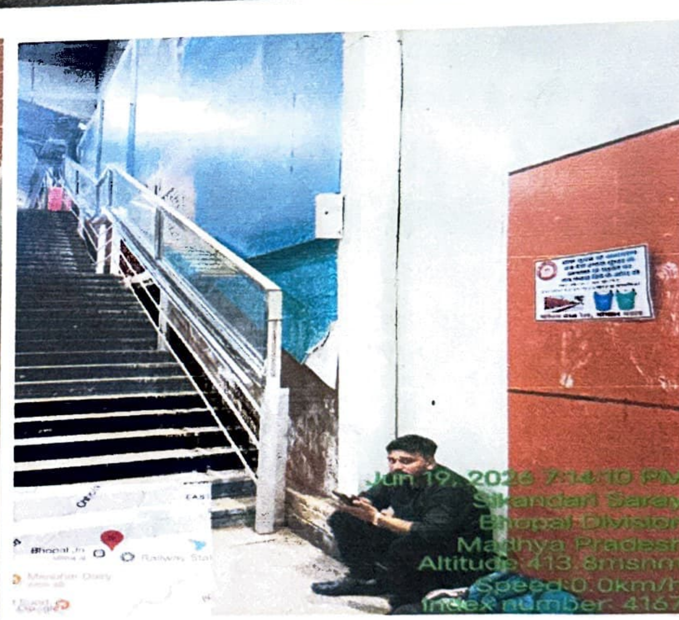

म मध्य रेल
Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
यॉंत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

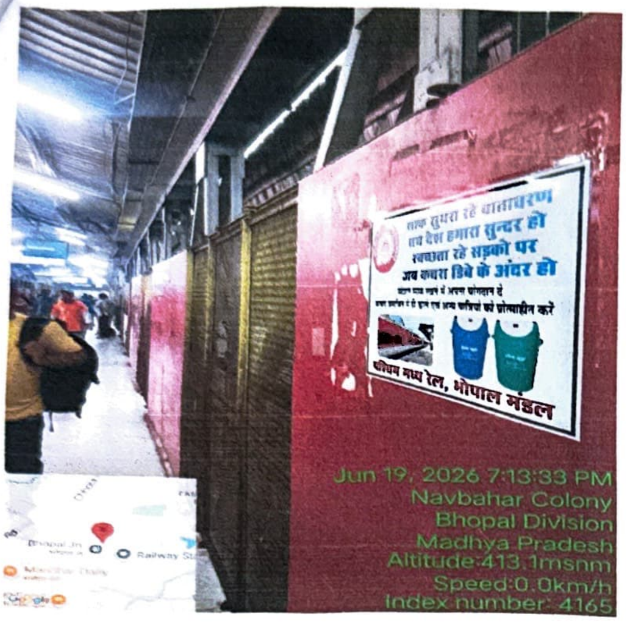

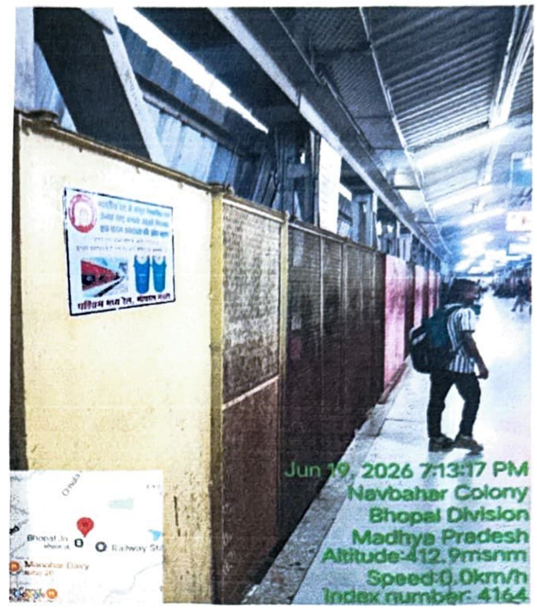

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी अनुपालन हेतु भोपाल रेलवे स्टेशन को CPCB पोर्टल पर (BWG) के रूप में पंजीकृत कर दिया गया है एवं Acknowledgement no. **SWM/BWG-C/MP/2026/0000020** भी प्राप्त हो गया है, भोपाल नगर निगम द्वारा सत्यापन अभी लंबित है, BWG पंजीकरण आवेदन की प्रति संलग्न है।

रेलवे के नियमों के तहत स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जाती है एवं अर्थदंड भी अधिरोपित किया जाता है|

आपके द्वारा किये गए निरीक्षण के प्रेक्षणों पर सुधारात्मक कार्यवाही जारी है एवं स्टेशन पर ठोस अपशिष्ट का निष्पादन नियमानुसार संग्रहण , पृथक्करण एवं परिवहन नियमित तौर पर किया जा रहा है।

सादर सूचनार्थ।

24/6/2026

वरि.मं. यॉं.इंजी.(सम/फ्रेट&ईएनएचएम) भोपाल
कृते मंडल रेल प्रबंधक/ भोपाल

copy to. ADRM (A&S)/BPL - for kind information pls.

Inspection Photographs in OA 67/2026 (CZ) dt 19.06.2026

207

NoteCam @ iOS
Latitude: 23.262942
Longitude: 77.411531
Elevation: 498.63±5.71 m
Accuracy: 8.70 m
Time: 19-06-2026 13:00:39
Note: Bhopal Railway Station

NoteCam @ iOS
Latitude: 23.262810
Longitude: 77.411585
Elevation: 498.94±20.38 m
Accuracy: 26.03 m
Time: 19-06-2026 12:58:00
Note: Bhopal Railway Station

Latitude: 23.263264
Longitude: 77.411856
Elevation: 496.49±3.00 m
Accuracy: 6.51 m
Time: 19-06-2026 12:55:54
Note: Bhopal Railway Station
NoteCam @ iOS

Latitude: 23.269935
Longitude: 77.413344
Elevation: 497.55±30.00 m
Accuracy: 118.01 m
Time: 19-06-2026 13:32:53
Note: Bhopal Railway Station
NoteCam @ iOS

NoteCam @ iOS
Latitude: 23.270570
Longitude: 77.414141
Elevation: 506.75±53.46 m
Accuracy: 13.83 m
Time: 19-06-2026 13:26:05
Note: Bhopal Railway Station

Annexure R/4-9

क्षेत्रीय कार्यालय

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 2359 **/क्षेका/प्रनिबो/2026** **भोपाल, दिनांक** 23/06 **/2026**

प्रति,

मंडल रेल प्रबंधक,
भोपाल डिवीजन, पश्चिम मध्य रेल्वे,
डी.आर.एम. रोड, बंगाली कालोनी, एन-०2
हबीबगंज, भोपाल, (म.प्र)-462024।

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 67/2026 (सीजेड) शिवम कुमार कोरी व अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.05.2026 के अनुपालन बाबत ।

सन्दर्भ: मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया स्थल निरीक्षण दिनांक 19/06/2026 ।

---00---

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय क्षेत्र पीठ, भोपाल द्वारा प्रकरण क्र. 67/2026 (सी.जेड.) शिवम कुमार कोरी व अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.05.2026 के अनुपालन में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डी.आर.एम. भोपाल की उपस्थिति में दिनांक 19.06.2026 को भोपाल रेलवे स्टेशन, भोपाल का निरीक्षण की किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य संज्ञान में आए—:-

1. प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म क्रमांक-04 एवं 06 के समीप रेल पटरियों के किनारे तथा ड्रेनेज लाइन में ठोस अपशिष्ट जमा होने के कारण आंशिक अवरोध (चोकिंग) की स्थिति पाई गई।
2. स्टेशन परिसर में ठोस अपशिष्ट के भंडारण हेतु निर्धारित स्थल चारों ओर से आच्छादित (Covered) पाया गया, किन्तु ऊपर से ढका हुआ (Sheltered) नहीं पाया गया। साथ ही, अपशिष्ट का स्रोत स्तर पर पृथक्करण (Source Segregation) संतोषजनक नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान यह भी अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ट भंडारण हेतु नवीन स्थल के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।
3. निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्मों पर 02 डस्टबिन उपलब्ध पाए गए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अनुसार अपशिष्ट के पृथक्करण एवं संग्रहण हेतु अब चार पृथक डस्टबिनों की व्यवस्था की जानी है।

उपरोक्त के संबंध में निम्नानुसार जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें–

1. प्लेटफॉर्म क्रमांक-04 एवं 06 के समीप रेल पटरियों एवं ड्रेनेज लाइन में पाए गए कचरे तथा चोकिंग की स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी एवं की गई सुधारात्मक कार्यवाही का विवरण।
2. स्टेशन परिसर में स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण, जिसमें सफाई कर्मियों की संख्या, सफाई कार्यक्रम, उपलब्ध रंग-कोडित डस्टबिनों की संख्या तथा अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण एवं निस्तारण व्यवस्था का विवरण सम्मिलित हो।
3. नवीन ठोस अपशिष्ट भंडारण स्थल के संबंध में प्रस्तावित कार्ययोजना, समय-सीमा तथा अब तक की गई एवं प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण।
4. रेलवे परिसर में कूड़ा फैलाने (Littering) के विरुद्ध की गई चालानी/दण्डात्मक कार्यवाही तथा इस मद में वसूल की गई राशि का विवरण।
5. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 के अनुरूप चार रंग-कोडित डस्टबिनों की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उनकी स्थापना संबंधी फोटोग्राफ उपलब्ध कराएं। साथ ही बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) के रूप में पंजीयन हेतु की गई कार्यवाही, आवेदन की प्रति तथा पंजीयन की अद्यतन स्थिति से संबंधित अभिलेख भी उपलब्ध कराएं।

उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में बिंदुवार अनुपालन प्रतिवेदन, आवश्यक अभिलेखों एवं फोटोग्राफ्स सहित इस कार्यालय को तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्टेशन परिसर में उत्पन्न समस्त ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन एवं निस्तारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें |

(नीतेश चौरसिया)
o/c क्षेत्रीय अधिकारी

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
यॉंत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

पत्र क्र.NGT/Notice no. CZB/2026/149/MPPCB3 **दिनांक 30/06/2026**

क्षेत्रीय अधिकारी,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केंद्रीय क्षेत्र पीठ, भोपाल में मूल आवेदन क्र. 67/2026 के अंतर्गत गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 19.06.2026 को किए गए निरीक्षण के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र.2359/क्षेका/प्रनिबो/2026, दिनांक 23.06.2026।

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित पत्र के क्रम में दिनांक 19.06.2026 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार गठित संयुक्त समिति द्वारा भोपाल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अधिकारी एवं पर्यवेक्षक उपस्थित रहेः

निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारीगण

रेलवे अधिकारी	**मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी**
मंडल रेल प्रबंधक (DRM), भोपाल	क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
अपर मंडल रेल प्रबंधक (ADRM), भोपाल	सहायक अभियंता मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता (सम./फ्रेट एवं ENHM)	
वरिष्ठ मंडल अभियंता (Sr. DEN Co.)	
मंडल अभियंता/मुख्यालय (DEN/HQ)	
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Sr. DCM)	
स्टेशन निदेशक, भोपाल	

निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर में स्वच्छता, पर्यावरण प्रबंधन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाएँ सक्रिय रूप से संचालित पाई गईं।

क्र.	गतिविधि/व्यवस्था	निरीक्षण के दौरान स्थिति
1	स्वच्छता जागरूकता हेतु उद्घोषणाएँ	सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से निरंतर स्वच्छता एवं कूड़ा न फैलाने संबंधी संदेश प्रसारित किए जा रहे थे।
2	स्टेशन सफाई व्यवस्था	प्लेटफॉर्म, ट्रैक एवं स्टेशन परिसर की सफाई संतोषजनक पायी गयी	
3	डस्टबिन उपलब्धता	यात्रियों की सुविधा हेतु पर्याप्त संख्या में डस्टबिन उपलब्ध पाए गए।
4	नालियों की सफाई	ट्रैक क्षेत्र स्थित नालियों की नियमित सफाई की जा रही थी।
5	डी-सिल्टिंग (Desilting) कार्य	नालियों से गाद एवं अवसाद हटाने का कार्य निरीक्षण के समय प्रगति पर था।

6	नालियों को आच्छादित करना	ज्यादातर नालियां जाली/कवर से ढकी हुई पायी गयी ।
7	स्वच्छता जागरूकता पोस्टर	स्टेशन परिसर के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं कूड़ा न फैलाने संबंधी पोस्टर प्रदर्शित पाए गए।
8	मुख्य अपशिस्ट संग्रहण भंडारण स्थल	टीन शेड के द्वारा अपशिस्ट संग्रहण भंडारण स्थल को कवर किया गया था|
9.	SWM 2026 का अनुपालन	1. शोचालय के पास नियमानुसार चार रंग के कूड़ा दान उपलब्ध पाए गए | 2. वर्तमान में स्टेशन प्लेटफार्म से कूड़ा का संग्रह करके उसे मुख्य अपशिष्ट भंडारण स्थल पर भेजा जा रहा है वहा पर इसे अलग अलग करके नियमित तौर पर नगर निगम को भेजा जाता है |

निरिक्षण के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर स्थित **जल पुनर्चक्रण संयंत्र** का दौरा किया गया|भोपाल रेलवे स्टेशन परिसर में स्थापित water recycling plant (WRP)वर्ष 2011 से संचालित हो रहा है। इस संयंत्रकी कुल उपचार क्षमता 10 लाख लीटर प्रतिदिन (1 MLD) है। वर्तमान में यह संयंत्र प्रतिदिन लगभग 5 लाख लीटर अपशिष्ट जल का शोधन(Treatment) कर पुनर्चक्रण (Recycling) कर रहा है। इस संयंत्र के लिए अपशिष्ट जल का स्रोत भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्मों से ड्रेनेज प्रणाली द्वारा एकत्रित होने वाला जल है।
संयंत्र में उपचारित जल का उपयोग मुख्य रूप से प्लेटफॉर्म के वॉशेबल एप्रन (Washable Apron) की धुलाई एवं सफाई के लिए किया जाता है। इससे स्वच्छ पेयजल की खपत में उल्लेखनीय कमी आती है तथा जल संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित होता है। यह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भारतीय रेल की जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास (Sustainable Development) की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो अपशिष्ट जल के वैज्ञानिक उपचार एवं पुनः उपयोग के माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

उक्त के अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि भोपाल रेलवे स्टेशन पर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, स्रोत स्तर पर पृथक्करण, परिवहन एवं निस्तारण की व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निरंतर सुनिश्चित की जा रही है। रेलवे प्रशासन द्वारा स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने हेतु निरंतर आवश्यक सुधारात्मक एवं निवारक कार्यवाहियाँ की जा रही हैं।

Galaxy M35 5G

Galaxy M35 5G

Galaxy M35 5G

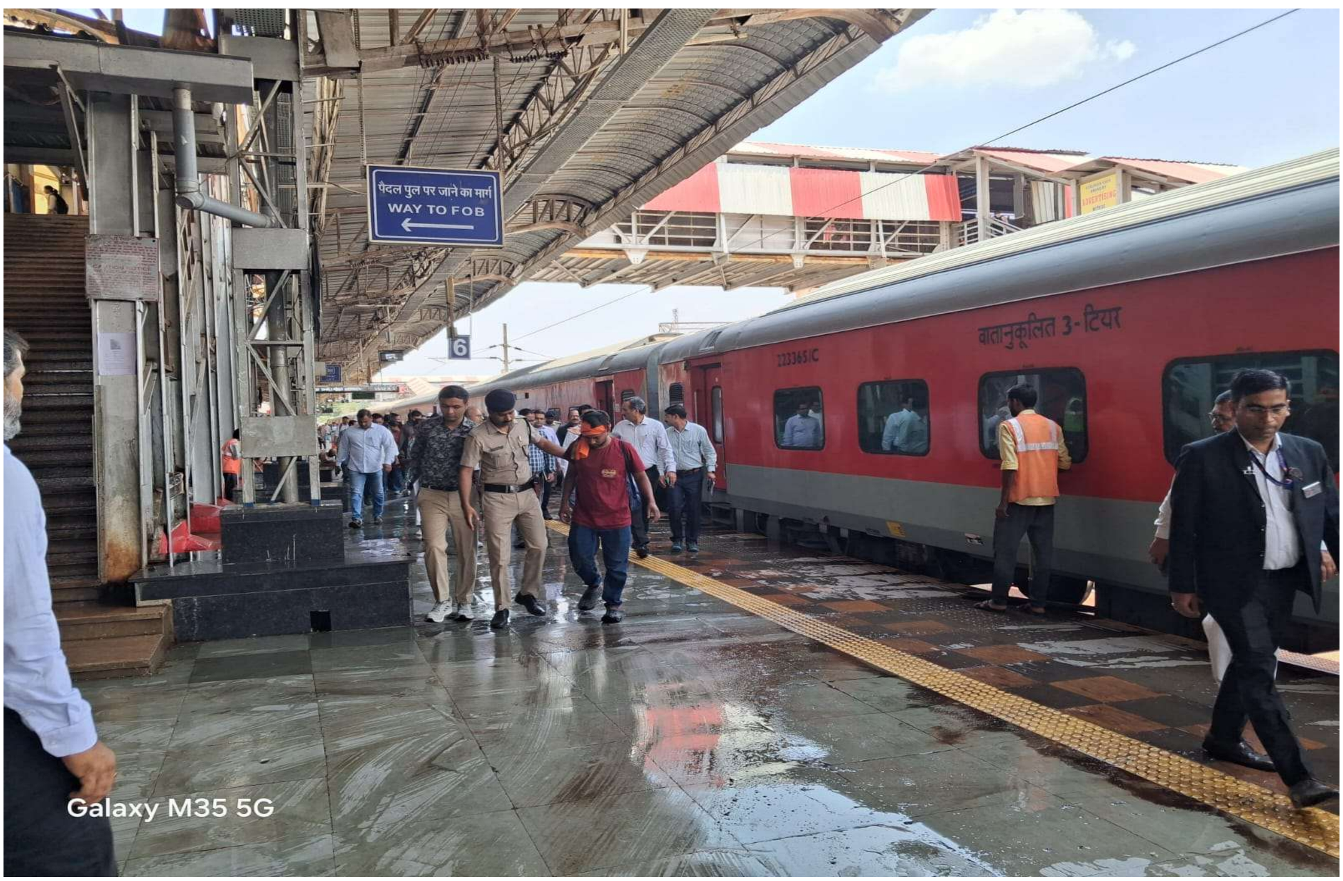
पैदल पुल पर जाने का मार्ग
WAY TO FOB
6
वातानुकूलित 3-टियर
Galaxy M35 5G

Galaxy M35 5G

19 Jun 2026 12:59:02 pm
62 Hamidia Road
Bhopal
Altitude:436.1msnm
Speed:0.0km/h

Galaxy M35 5G

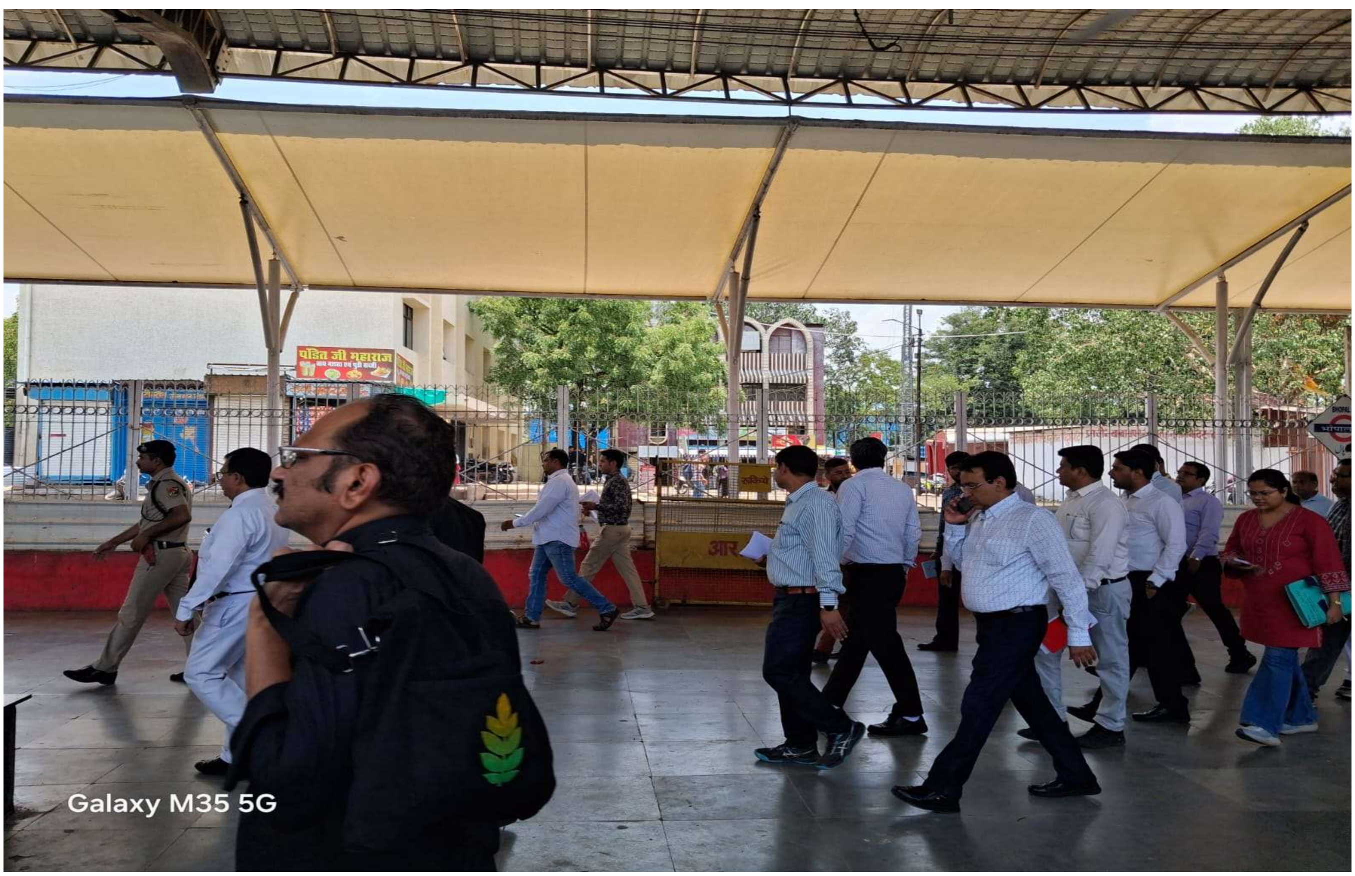
Galaxy M35 5G

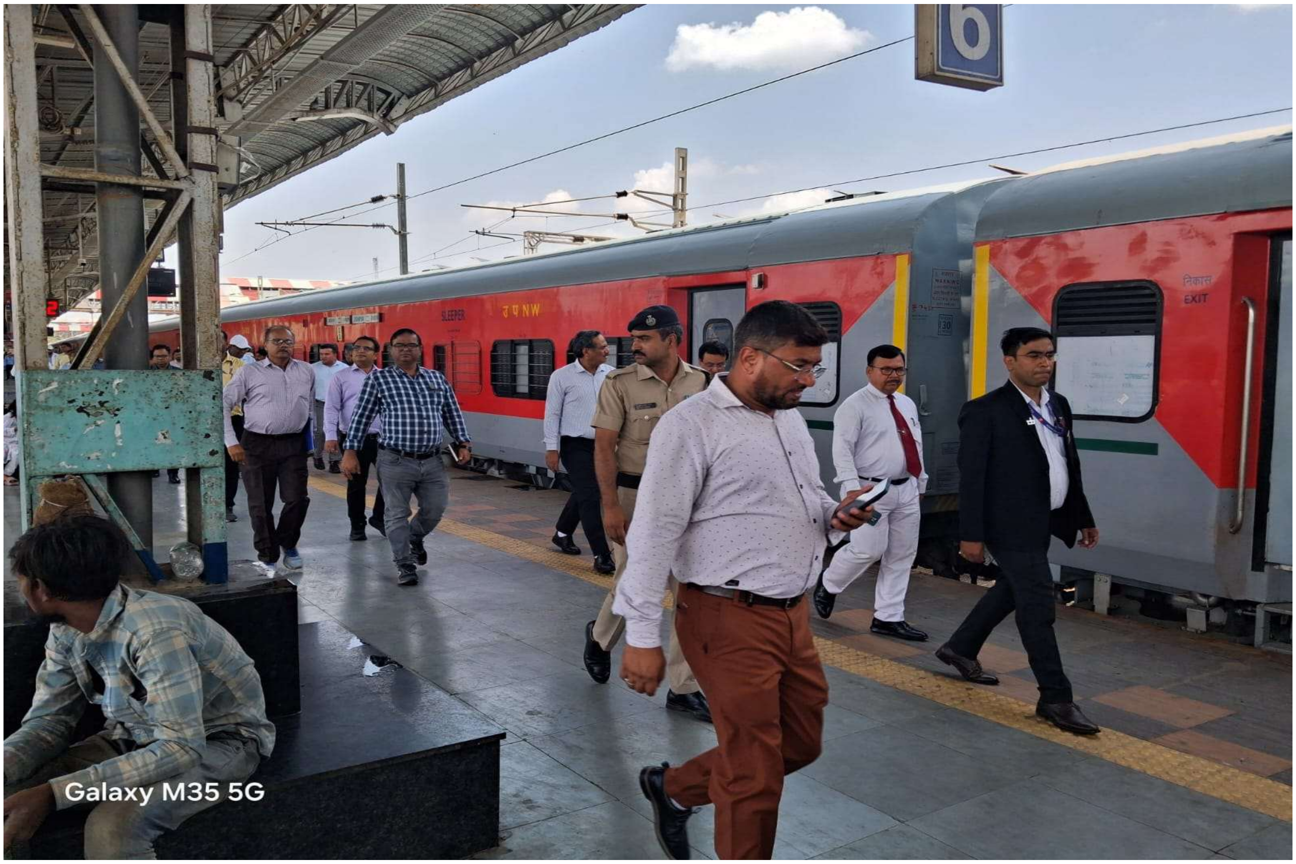

6
SLEEPER
निकास
EXIT
Galaxy M35 5G

WEST CENTRAL RAILWAY
WASTE WATER RECYCLING PLANT, BHOPAL
SCREENING CHAMBERS
COLLECTION TANK
BIOLOGICAL TANK (MBBR)
CLARIFIER TANK
SUMP TANK
S.K. Engineers
CLIENT
Sr. DEN/HQ/WCR/BPL

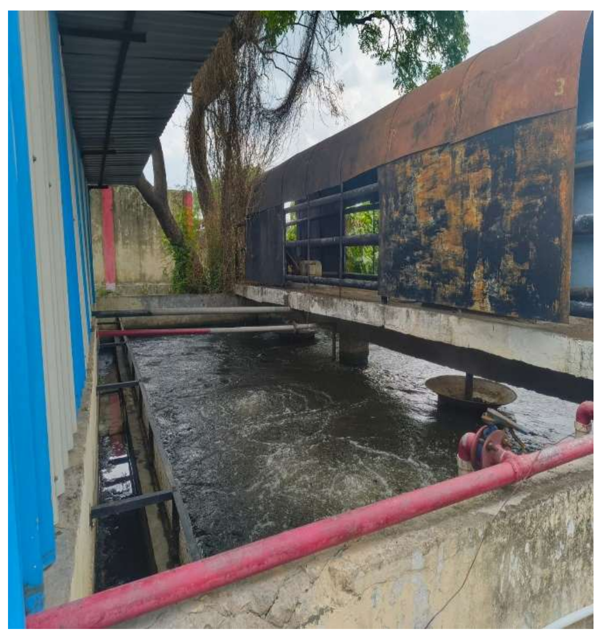

निरीक्षण के आपके द्वारा अपेक्षित बिंदुवार जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

1. प्लेटफॉर्म क्रमांक 04 एवं 06 के मध्य पटरियों के समीप स्थित नालियों में गाद एवं अवरोध के कारण ओवरफ्लो की स्थिति के संबंध में

भोपाल रेलवे स्टेशन पर ट्रैक क्षेत्र स्थित नालियों की सफाई एक नियमित एवं सतत प्रक्रिया है तथा निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार प्रतिदिन तीन बार नालियों की सफाई सुनिश्चित की जाती है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन औसतन लगभग 140 ट्रेनों का आवागमन होता है, जिसके कारण ट्रैक क्षेत्र में सफाई कार्य केवल उपलब्ध सुरक्षित समयावधि (Traffic Block/Operational Gap) में ही संपादित किया जाना संभव होता है।

निरीक्षण के समय दृष्टिगत स्थिति क्षणिक प्रकृति की थी| नालियों के निर्बाध प्रवाह एवं जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने हेतु नियमित सफाई के अतिरिक्त नालियों से गाद एवं अवसाद (Silt) हटाने का कार्य (Desilting) भी निरंतर कराया जा रहा है।

रेलवे के द्वारा उपरोक्त स्थिति से बचाव हेतु निम्न उपाय किये जा रहे है

a नालियों में गिट्टियों एवं अन्य बाह्य पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करने हेतु नालियों की मुंडेरों को थोडा ऊँचा किए जाने का कार्य प्रगति पर है |

b. नालियों को जाली से आच्छादित करने का कार्य भी चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है

c. यात्रियों को सफाई के प्रति जागरूक करने हेतु स्टेशन परिसर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर स्वच्छता, अपशिष्ट पृथक्करण एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी पोस्टर, बैनर एवं जागरूकता साइनेज प्रदर्शित किए जा रहे हैं। यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु नियमित रूप से Public Announcement System के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें निर्धारित डस्टबिनों का उपयोग, ट्रैक एवं प्लेटफॉर्म पर कचरा न फेंकने तथा गीले एवं सूखे कचरे को पृथक रखने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

Mission LiFE (Lifestyle for Environment) तथा स्वच्छ रेलवे स्टेशन अभियान के अंतर्गत समय-समय पर जन-जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में स्टेशन परिसर में नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता जागरूकता अभियान, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम एवं विशेष जनसंपर्क गतिविधियाँ आयोजित भी की गई हैं, जिनके माध्यम से यात्रियों एवं आमजन को स्वच्छता, अपशिष्ट न्यूनीकरण एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक किया गया ।

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
यॉंत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

इसके अतिरिक्त उपयुक्त स्थानों का चिन्हांकन कर नए साइनेज बोर्ड एवं जागरूकता सामग्री स्थापित किए जाने की कार्यवाही भी की जा रही है, जिससे स्वच्छता एवं अपशिष्ट पृथक्करण संबंधी संदेशों का व्यापक प्रसार सुनिश्चित किया जा सके |

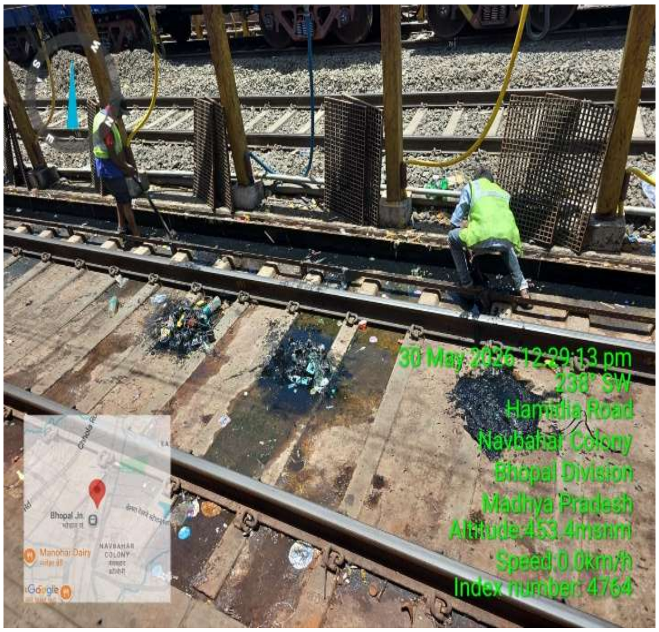

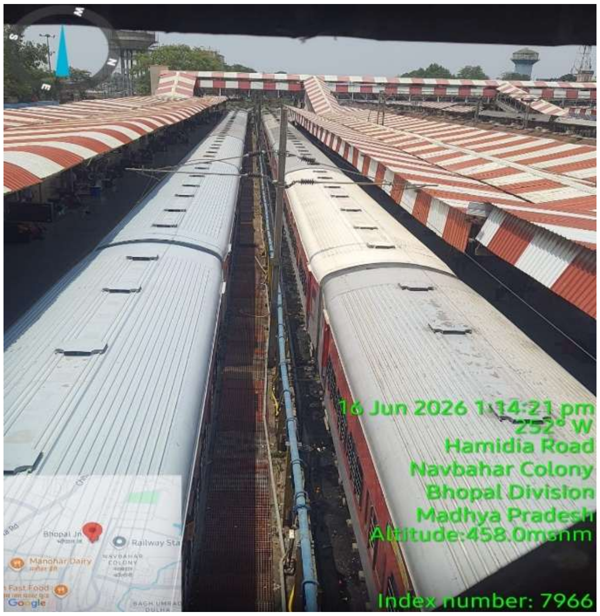

2. स्टेशन परिसर में स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण:

भोपाल रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था का संचालन निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार सतत रूप से किया जा रहा है। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, ट्रैक क्षेत्र एवं अन्य संबद्ध परिसरों की नियमित सफाई हेतु पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मियों की तैनाती संविदा के माध्यम से की गई है तथा विभिन्न पालियों में सफाई कार्य सुनिश्चित किया जाता है।

a. स्टेशन परिसर में दैनिक सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्लेटफॉर्म, ट्रैक, नालियों, प्रतीक्षालयों, शौचालयों एवं सार्वजनिक उपयोग के क्षेत्रों की नियमित सफाई एवं अपशिष्ट संग्रहण किया जाता है। ट्रैक क्षेत्र स्थित नालियों की सफाई प्रतिदिन तीन बार सुनिश्चित की जाती है तथा आवश्यकता अनुसार डी-सिल्टिंग (Desilting) कार्य भी कराया जाता है|
b. वर्तमान में कुल 45-50 कर्मचारी प्रतिदिन सफाई ठेके के अंतर्गत कार्य करते है जिनकी संख्या प्रत्येक पाली में कार्य की आवश्यकतानुसार परिवर्तित होती रहती है |
c. यात्रियों एवं उपयोगकर्ताओं की सुविधा हेतु स्टेशन परिसर में पर्याप्त संख्या में रंग-कोडित (Color Coded) डस्टबिन उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके माध्यम से स्रोत स्तर पर गीले एवं सूखे अपशिष्ट के पृथक्करण को प्रोत्साहित किया जा रहा है।वर्तमान में गीला एवं सूखा कूड़ा दान के कुल अनुमानित सेट 150 है |जिन्हें स्टेशन परिसर पर भिन्न स्थानों पर रखा गया है |
d. स्टेशन परिसर में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का नियमित संग्रहण किया जाता है तथा गीले एवं सूखे अपशिष्ट का पृथक संग्रहण सुनिश्चित किया जाता है। एकत्रित अपशिष्ट को निर्धारित भंडारण स्थल तक पहुंचाकर पृथक-पृथक भंडारित किया जाता है। वर्तमान भंडारण स्थल को और अधिक सुरक्षित एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने हेतु उसे ऊपर से पूर्णतः आवृत (Covered) किए जाने की कार्यवाही प्रगति पर है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही स्थायी ठोस अपशिष्ट भंडारण सुविधा विकसित करने हेतु पृथक स्थान का चयन किया जा चुका है।

e. तत्पश्चात एकत्रित अपशिष्ट का परिवहन एवं नियमानुसार निस्तारण अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। इस प्रकार स्टेशन परिसर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों के अनुरूप संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन एवं निस्तारण की व्यवस्था सतत रूप से क्रियान्वित की जा रही है।

f. भोपाल स्टेशन पर सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी हेतु geo tag आधारित फोटो प्रलाणी का उपयोग किया जाता है | किसी भी स्थान पर सफाई की आवश्यकता होने पर उस स्थान की कार्य के पूर्व geo tag फोटो ली जाती है एवं कार्य की समाप्ति के पश्चात पुन: उस स्थान की geo tag फोटो ली जाती है इस प्रकार भी सफाई को सुनिश्चित किया जाता है | इसके अतिरिक्त मंडल कार्यलय से भी सफाई की नियमित निगरानी CCTV के माध्यम से की जाती है |

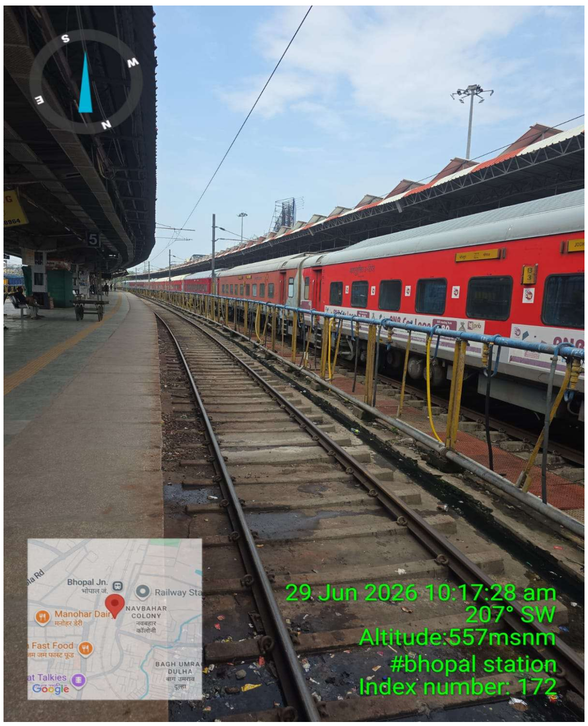

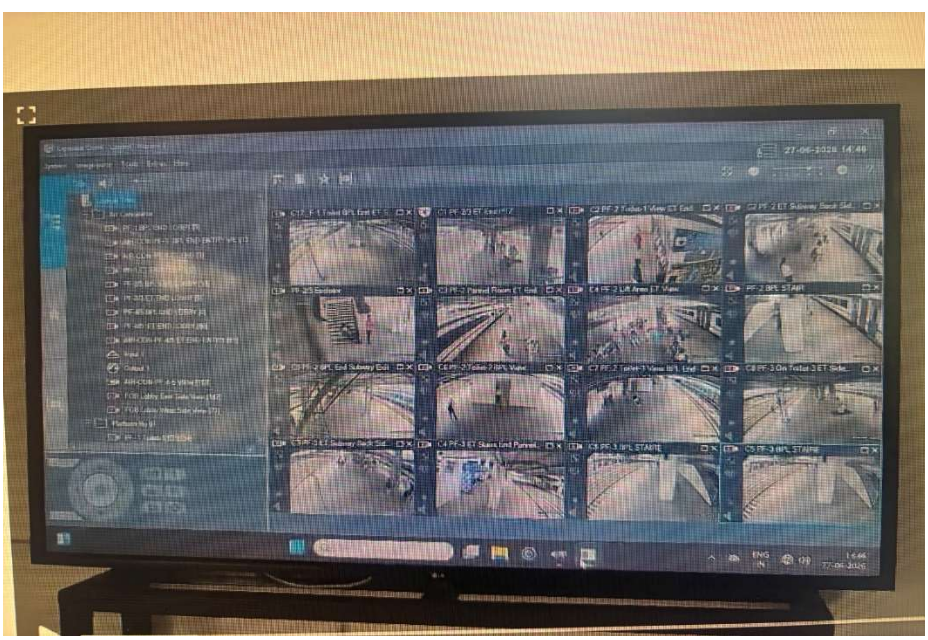

3. नवीन ठोस अपशिष्ट भंडारण स्थल के संबंध में प्रस्तावित कार्ययोजना, समय-सीमा तथा अब तक की गई एवं प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है: -

a भोपाल रेलवे स्टेशन पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों के अनुरूप सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नवीन स्थायी ठोस अपशिष्ट भंडारण स्थल हेतु उपयुक्त स्थान का चयन कर लिया गया है।

b वर्तमान में अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध भंडारण स्थल पर गीले एवं सूखे अपशिष्ट के पृथक संग्रहण हेतु पृथक-पृथक भाग (Partitions) उपलब्ध कराए गए हैं तथा भंडारण स्थल को ऊपर से पूर्णतः आवृत (Covered) किए जाने की कार्यवाही प्रगति पर है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

c नवीन स्थायी ठोस अपशिष्ट भंडारण स्थल के विकास हेतु आवश्यक कार्ययोजना तैयार कर ली गई है तथा चरणबद्ध रूप से आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत पृथक भंडारण क्षेत्र, सुरक्षित संग्रहण व्यवस्था एवं वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवश्यक अवसंरचना विकसित की जाएगी।

उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर संपादित किया जा रहा है तथा निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार इसे यथाशीघ्र पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही प्रचलन में है तथा शेष कार्य चरणबद्ध रूप से निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण किए जाएंगे।

4.रेलवे परिसर में कूड़ा फैलाने (Littering) के विरुद्ध की गई चालानी/दण्डात्मक कार्यवाही तथा इस मद में वसूल की गई राशि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

a) रेल प्रशासन द्वारा स्टेशन परिसर में स्वच्छता एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन हेतु निरंतर निगरानी रखी जाती है तथा कूड़ा फैलाने (Littering) एवं स्वच्छता संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन के विरुद्ध नियमानुसार चालानी/दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।
b) दिनांक **01.01.2025 से 31.12.2025** की अवधि के दौरान कुल **897 प्रकरणों** में चालानी कार्यवाही की गई, जिसके अंतर्गत कुल **₹1,90,630/-** का अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूल किया गया।
c) दिनांक **01.01.2026 से 31.05.2026** की अवधि के दौरान कुल **142 प्रकरणों** में चालानी कार्यवाही की गई, जिसके अंतर्गत कुल **₹34,650/-** का अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूल किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशन परिसर में स्वच्छता बनाए रखने हेतु कूड़ा फैलाने वालों के विरुद्ध सतत प्रवर्तनात्मक (Enforcement) एवं दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही यात्रियों एवं आमजन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु नियमित रूप से जन-जागरूकता गतिविधियाँ एवं स्वच्छता संबंधी संदेशों का प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है, जिससे स्टेशन परिसर में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखा जा सके।

5. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अनुरूप चार रंग-कोडेड डस्टबिनों की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उनकी स्थापना एवं फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए जाने तथा Bulk Waste Generator (BWG) पंजीकरण एवं अनुपालनात्मक कार्यवाही के संबंध में:

भोपाल रेलवे स्टेशन पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों के अनुरूप नामांकित स्रोत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने हेतु चार रंग-कोडित (Color Coded) डस्टबिनों की व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में स्टेशन परिसर के शौचालय (Toilet) क्षेत्रों को नियमानुसार चार प्रकार के रंग-कोडित डस्टबिनों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थान के रूप में चिन्हित (Identified) कर लिया गया है। उक्त चिन्हित स्थानों पर आवश्यकतानुसार चारों प्रकार के रंग-कोडित डस्टबिनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे स्रोत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण की व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के अनुरूप लागू की जा सके।

पृथक्करण किया हुआ अप्शिस्ष्ट अंत में नगर निगम को सौंपा जाता है और कचरे की रसीद नगर निगम द्वारा दी जाती है, इसके अतिरिक्त, स्टेशन परिसर में उत्पन्न अपशिष्ट का पृथक संग्रहण, भंडारण, परिवहन एवं निस्तारण नियमानुसार सुनिश्चित किया जा रहा है, तथा स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक अनुपालनात्मक कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
यॉत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

भोपाल रेलवे स्टेशन का Bulk Waste Generator (BWG) के रूप में CPCB पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण दिनांक 13.06.2026 को कराया जा चुका है तथा **Acknowledgement No. SWM/BWG-C/MP/2026/0000020** प्राप्त हो चुका है। वर्तमान में भोपाल नगर निगम द्वारा सत्यापन (Verification) की कार्यवाही प्रचलन में है।प्रति संलग्न है

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

224

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
यॉंत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

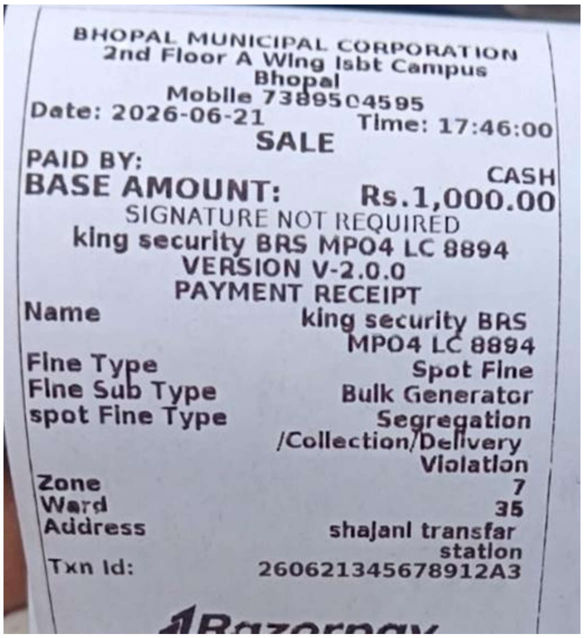
BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION
2nd Floor A Wing Isbt Campus
Bhopal
Mobile 7389504595
Date: 2026-06-21 Time: 17:46:00
SALE
PAID BY: CASH
BASE AMOUNT: Rs.1,000.00
SIGNATURE NOT REQUIRED
king security BRS MP04 LC 8894
VERSION V-2.0.0
PAYMENT RECEIPT
Name king security BRS MP04 LC 8894
Fine Type Spot Fine
Fine Sub Type Bulk Generator
spot Fine Type Segregation /Collection/Delivery Violation
Zone 7
Ward 35
Address shajani transfar station
Txn Id: 260621345678912A3
Razorpay

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION
2nd Floor A Wing Isbt Campus
Bhopal
Mobile 7389504595
Date: 2026-06-22 Time: 10:19:16
SALE
PAID BY: CASH
BASE AMOUNT: Rs.1,000.00
SIGNATURE NOT REQUIRED
king security BRS MP04LC8894
VERSION V-2.0.0
PAYMENT RECEIPT
Name king security BRS MP04LC8894
Fine Type Spot Fine
Fine Sub Type OTHERS
Zone 7
Ward 35
Address shajani transfer station
Txn Id 260622044915847E7 76497704

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION
2nd Floor A Wing Isbt Campus
Bhopal
Mobile 7389504595
Date: 2026-06-23 Time: 14:51:30
SALE
PAID BY: CASH
BASE AMOUNT: Rs.1,000.00
SIGNATURE NOT REQUIRED
king security BRS MP04LC8894
VERSION V-2.0.0
PAYMENT RECEIPT
Name king security BRS MP04LC8894
Fine Type Spot Fine
Fine Sub Type OTHERS
Zone 7
Ward 35
Address shajani transfer station
Txn Id 230623153509121F4 81023956
Razorpay
***** Merchant Copy *****

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION
2nd Floor A Wing Isbt Campus
Bhopal
Mobile 7389504595
Date: 2026-06-24 Time: 19:39:16
SALE
PAID BY: CASH
BASE AMOUNT: Rs.1,000.00
SIGNATURE NOT REQUIRED
king security BRS MP04LC8894
VERSION V-2.0.0
PAYMENT RECEIPT
Name king security BRS MP04LC8894
Fine Type Spot Fine
Fine Sub Type OTHERS
Zone 7
Ward 35
Address shajani transfer station
Txn Id 240624072212345E7 76497704
Razorpay

29 June 2026 at 10:27:39 AM
N 23° 16' 1", E 77° 24' 47"
41° NE
Bhopal 462010
Madhya Pradesh
India
Bhopal Junction
507.2 m a.s.l.
Speed:3.2km/h

16 00
Jun 29, 2026 4:00:08 PM
Hamidia Road
Navbahar Colony
Bhopal Division
Madhya Pradesh
Altitude:413.8msnm
Speed:0.1km/h
Index number: 5708

Jun 29, 2026 4:00:00 PM
Hamidia Road
Navbahar Colony
Bhopal Division
Madhya Pradesh
Altitude:358.5msnm
Speed:2.8km/h
Index number: 5707

Jun 29, 2026 4:09:01 PM
Navbahar Colony
Bhopal Division
Madhya Pradesh
Altitude:429.2msnm
Speed:0.2km/h
Index number: 5716

29 Jun 2026 9:28:07 am
9° N
Hamidia Road
Navbahar Colony
Bhopal Division
Madhya Pradesh
Altitude:435.9msnm
Speed:0.0km/h
#bhopal station
Index number: 141

IRCTC AC EXECUTIVE LOUNGE
Jun 29, 2026 4:07:52 PM
Navbahar Colony
Bhopal Division
Madhya Pradesh
Altitude:426.8msnm
Speed:0.0km/h
Index number: 5714

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

226

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Rly. Manager's Office
यॉंत्रिक शाखा, भोपाल–462024
Mechanical Branch, Bhopal-462024
FAX & Ph. 0755-4001593(P&T) 016-5402(Rly)

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रावधानों के अनुरूप रंग-कोडित डस्टबिनों की उपलब्धता, स्रोत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण तथा Bulk Waste Generator (BWG) संबंधी आवश्यक अनुपालनात्मक कार्यवाही सतत रूप से सुनिश्चित की जा रही है।

सादर सूचनार्थ।

VIVEK KUMAR SHRIVASTAVA

Digitally signed by VIVEK KUMAR SHRIVASTAVA

वरि.मं. यॉं.इंजी.(सर/प्रो)/मंडल रेल प्रबंधक
कार्यालय, पश्चिम मध्य रेल, भोपाल

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Central Pollution Control Board
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Centralised Portal for Solid Waste Management
swm.cpcb.gov.in

✓ Acknowledgement Receipt — BWG Registration Application

ACKNOWLEDGEMENT NO.: SWM/BWG-C/MP/2026/0000020 **Date:** 13/06/2026

● PENDING VERIFICATION AT ULB

Your application has been submitted successfully.

Dear **Ashfaq khan**,
Application for Bulk Waste Generator (BWG) Registration under SWM Rules, 2026, has been received on the SWM Portal. Please save this acknowledgement number for record.

APPLICANT INFORMATION

Organisation / Entity Name	Bhopal railway station
BWG Category (SWM Rules, 2026)	Commercial
BWG Sub Category	Railway Station / Railway

BWG CRITERIA (YOU ARE A BWG)

FLOOR AREA	WASTE GENERATION	WATER CONSUMPTION
215532 sq.m.	**1000 kg/day**	**300000 L/day**

PREMISES ADDRESS (AS SUBMITTED)

Address	Bhopal railway station
State / UT	Madhya Pradesh
Sub District - District	Huzur - Bhopal
Pin Code	462001
ULB	Bhopal
Geo-coordinates	23.267715° 77.413884°

REGISTERED CONTACT DETAILS

Authorised Contact Person	Ashfaq khan
Registered Mobile No.	+91 ******2523
Registered Email ID	bh******************0@gmail.com

📋 COMPLIANCE & NEXT STEPS

Application Status	**Submitted Successfully & Pending at ULB**
Segregation Obligation	Mandatory 4-stream segregation

Important: Please quote your Acknowledgement No. **SWM/BWG-C/MP/2026/0000020** in all future correspondence with CPCB, SPCB/PCC, and ULB/RLB .

An SMS and email confirmation has been sent to registered mobile number and email ID. If you do not receive confirmation within 24 hours, please contact the SWM Helpdesk through the portal contact section.

⚠ DISCLAIMER

1. This acknowledgement receipt is a system-generated document and does not constitute approval or registration as a Bulk Waste Generator under SWM Rules, 2026.
2. The information submitted is subject to verification by the concerned Urban Local Body (ULB)/Rural Local Body (RLB) and State Pollution Control Board (SPCB) / Pollution Control Committee (PCC).
3. The registration fee (if applicable) shall be payable to the concerned authority after activation of the payment gateway on this portal.
4. In case of any discrepancy found during verification, action may be initiated as per law.
5. CPCB reserves right to revoke or modify the registration at any stage if the information furnished is found to be false, misleading, or non-compliant with SWM Rules, 2026.
6. This receipt is valid only when generated from the official portal **swm.cpcb.gov.in** any printed copy without the unique Acknowledgement number is not-valid.
7. The applicant is advised to comply with all applicable provisions under SWM Rules, 2026.

🌿 ***"Waste is not waste until we waste it. Segregate at source, process responsibly, and build a cleaner India."***

Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi – 110032

This is a computer-generated receipt. © 2026 CPCB